मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मई 2014-ज्येष्ठ 9, शके 1936

भाग 3 (1)

विज्ञापन

न्यायालयों की सूचनाएं

STATE BAR COUNCIL OF MADHYA PRADESH
HIGH COURT CAMPUS, JABALPUR - 482001

The 29th May, 2014

NOTIFICATION

SBCMP/Supd/RTI/ /14.—It is hereby notified for general information of all concerned and as required under Rule 30 (3) of State Bar Council of Madhya Pradesh election Rules 1968, the following candidates have been declared elected as Members of State Bar Council of Madhya Pradesh in the election held on 07th Jan 2014:-

Sr.	Name	Address with Place
1.	SHIVENDRA PRASAD UPADHYAY Advocate	Narendra Nagar, REWA
2.	MANISH DATT Sr. Advocate	1166, Napier Town, Near 4th Bridge, JABALPUR
3.	SUNIL GUPTA Advocate	1518 Sudama Nagar, INDORE
4.	VIVEK SINGH Advocate	1/3A,South Tukoganj, Namili Kothi, INDORE
5.	PRATAP CHANDRA MEHTA Advocate	21, Dashera Maidan, UJJAIN
6.	RAMESHWAR PRASAD NEEKHRA Sr. Advocate	Radha Ballabh Ward, GADARWARA
7.	JAGANNATH TRIPATHI Advocate	143/1, Beohar Bagh, JABALPUR
8.	VIJAY KUMAR CHAUDHARY Advocate	E-2/144, Arera Colony, BHOPAL
9.	ZAFAR AHMED KHAN Sr. Advocate	169/2, Juna Risala, INDORE
10.	RASHMI RITU JAIN Advocate	6/149, Mahavir Chouraha, SIHORA
11.	RAJESH VYAS Advocate	Vyas Complex, Zone II, MP Nagar, BHOPAL
12.	ANKUR MODI S Advocate	Modi & Modi Advocates, Parakh Ji Ka Bada, Daulatganj, Lashkar, GWALIOR
13.	ADARSH MUNI TRIVEDI Sr. Advocate	ShatKritu Ashram, Gopalbagh, JABALPUR

Sr.	Name	Address with Place
14.	PRABAL PRATAP SINGH SOLANKI Advocate	83A Sharda Vihar Colony, Near New High Court, City Centre, GWALIOR
15.	RADHE LAL GUPTA Advocate	Sheela Talkies Compound, South Civil Lines, JABALPUR
16.	DINESH NARAYAN PATHAK Advocate	Pathak Sadan, Civil Lines, Banganga Road, SHAHDOL
17.	JAI PRAKASH MISHRA Advocate	Kampoo, Idgah, Lashkar, GWALIOR
18.	ASHOK SHUKLA Sr. Advocate	B-5, Gulmohar Extension,INDORE
19.	MOHAMMAD MAHBOOB ANSARI Advocate	Opp. Qamar Dairy Farm, BHOPAL
20.	MRIGENDRA SINGH BAGHEL Advocate	407, South Civil Lines, JABALPUR
21.	BHUP NARAYAN SINGH Advocate	F/5, Police Lines, Cantt, GUNA
22.	RAJESH KUMAR PANDEY Advocate	Gau Ghat, Parkota, SAGAR
23.	GANGA PRASAD TIWARI Advocate	Ward No. 4, CHHINDWARA
24.	RAM KANWAR SINGH SAINI Advocate	1762/9 Sangam Sadan, Near New Shobhapur, JABALPUR
25.	JITENDRA KUMAR SHARMA Advocate	C/o J P Parashar, Near Bharat Talkies, GWALIOR

MUKESH MISHRA,
(98-B.) RETURNING OFFICER/OFFICIATING SECRETARY.

मध्यप्रदेश उच्च न्यायालय, इन्दौर खंडपीठ के समक्ष

(मूल कम्पनी क्षेत्राधिकार)

कम्पनी याचिका क्र. 13/2014

कम्पनी याचिका क्र. 11/2014 के साथ

कम्पनी अधिनियम, 1956 के मामले में

एवं

कटारिया इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड, कटारिया प्लॉस्टिक्स प्रायवेट लिमिटेड एवं श्री हनुमान माइनिंग कॉर्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेड के मध्य प्रबन्ध एवं विभाजन योजना कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत धारा-391-394 के मामले में **एवं**

के मामले में :

कटारिया इण्डस्ट्रीज प्रायवेट लिमिटेड,
कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 34-44, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, रतलाम-457 001 (म.प्र.). — **याचिकाकर्ता क्र.1/अंतरक**

कटारिया प्लॉस्टिक्स प्रायवेट लिमिटेड,
कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 10-13, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, रतलाम-457 001 (म.प्र.). — **याचिकाकर्ता क्र.2/अंतरिती क्र.1**

श्री हनुमान माइनिंग कॉर्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेड,
कम्पनी अधिनियम, 1956 के अंतर्गत निगमित एक कम्पनी जिसका पंजीकृत कार्यालय 10-13, इण्डस्ट्रीयल इस्टेट, रतलाम-457 001 (म.प्र.). — **याचिकाकर्ता क्र.3/अंतरिती क्र.2**

याचिका की सूचना

उपरोक्त याचिकाकर्ताओं द्वारा कम्पनी अधिनियम, 1956 की धारा-391-394 के अंतर्गत दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को, कटारिया इण्डस्ट्रीज

प्रायवेट लिमिटेड (अंतरक कम्पनी), कटारिया प्लॉस्टिक्स प्रायवेट लिमिटेड एवं श्री हनुमान माइनिंग कॉर्पोरेशन प्रायवेट लिमिटेड (अंतरिती कम्पनी) के मध्य प्रबंध एवं विभाजन योजना की मंजूरी प्राप्त करने के लिए एक याचिका प्रस्तुत की गई है तथा उपरोक्त याचिका को दिनांक 30 जून, 2014 को माननीय कम्पनी न्यायालय के समक्ष सुनवाई के लिये निर्धारित किया गया है.

यदि कोई व्यक्ति उपरोक्त याचिका का समर्थन या आपत्ति प्रस्तुत करना चाहता हो, तो वह व्यक्ति याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक को इस आशय की सूचना, अपना नाम व पता सहित या अपने अभिभाषक के माध्यम से सुनवाई दिनांक से 2 दिन पूर्व भिजवाये, यदि वह आपत्ति करता है तो आपत्ति करने का कारण शपथ-पत्र की प्रतिलिपि सहित सूचना-पत्र के साथ भिजवाये एवं यदि ऐसा व्यक्ति याचिका की प्रति प्राप्त करना चाहता हो, तो याचिकाकर्ताओं के अभिभाषक से निर्धारित शुल्क देकर प्राप्त कर सकता है.

यतीश लाड़ (अभिभाषक),
तर्फे याचिकाकर्ता कम्पनियाँ,
304, जे. वी. कॉम्प्लेक्स,
2/13, रेस कोर्स रोड, इन्दौर.

दिनांक 21 मई, 2014

(91-बी.)

HIGH COURT OF MADHYA PRADESH BENCH AT INDORE
ORDINARY ORIGINAL CIVIL JURISDICTION
COMPANY APPLICATION / PETITION NO.12 OF 2014

In the matter of the Companies Act, 1956;
And
In the matter of Sections 391 to 394
of the said Act ;
And
In the matter of Scheme of Amalgamation
of
Wadala Commodities Limited
(" WCL" or " Transferor Company" or
" the Applicant Company")
With
Godrej Industries Limited (" GIL" or
" Transferee Company")
And
their respective shareholders

WADALA COMMODITIES LIMITED, a company incorporated under the provisions of the Companies Act, 1956 and having its registered office at 107, Gold Arcade, 3/1 New Palasia, Opp. Curewell Hospital, Indore-452001, Madhya Pradesh.

.....Applicant /Transferor Company

FORM No. 38

Notice Convening The Meeting of The Equity Shareholders of Wadala Commodities Limited, The Applicant Company

NOTICE IS HEREBY GIVEN THAT by an order made on the 30th day of April, 2014, in the above Company Application, the Hon'ble High Court of Judicature at Madhya Pradesh, Indore Bench, has directed

that the meeting of the Equity Shareholders of Wadala Commodities Limited, the Applicant Company, be convened and held at 107, Gold Archae, 3/1, New Palasia, Opposite Curewell Hospital, Indore-452001 (M.P.) on Friday, 4th July, 2014 at 12.00 Noon, for the purpose of considering and, if thought fit, approving, with or without modification (s), the proposed Scheme of Amalgamation of Wadala Commodities Limited ("WCL" or "Transferor Company" or " the Applicant Company") with Godrej industries Limited (" GIL" or "Transferee Company") and their respective shareholders ('the Scheme' or ' this Scheme ').

In Pursuance of the said Order and as directed therein, further Notice is hereby given that meeting of the Equity Shareholders of the Applicant Company will be held at 107, Gold Archae, 3/1, New Palasia, Opposite Curewell Hospital, Indore-452001 (M.P.) on Friday, 4th July, 2014 at 12.00 Noon, at which time and place the Equity Shareholders are requested to attend.

Copies of the Scheme, Statement under Section 393 of the Companies Act, 1956 and form of Proxy would be available free of charge at the Registered Office of the Applicant Company and /or at the office of the Advocate-M/s. Pankaj Bagadiya Advocates, 201/202, D M Towers, 21/1, Race Course Road, New Palasia, Indore 452003.

Person(s) entitled to attend and vote at the meeting may vote in person or by proxy or through an authorized representative provided that a proxy in the prescribed form/authorization duly signed by the persons entitled to attend and vote at the meeting is deposited at the Registered Office of the Applicant Company at 107, Gold Arcade, 3/1 New Palasia, Opp. Curewell Hospital, Indore-452001, Madhya Pradesh, not later than, 48 hours before the said Meeting.

The Hon'ble High Court has appointed Shri Subodh Abhyankar, Advocate as the Chairman of the meeting of the Equity Shareholders, and Shri Rohit Mangal, Advocate as the alternate Chairman for convening these meetings of the Equity Shareholders.

The above-mentioned Scheme, if approved by the Equity Shareholders will be subject to subsequent approval of the High Court.

Dated - Day of May, 2014.

Place : Indore,

SUBODH ABHYANKAR,

(92-B.) Chairperson appointed for the meeting.

अन्य सूचनाएं

नाम परिवर्तन

मैं, सर्व-साधारण को सूचित करता हूँ कि मेरा पूर्व में नाम मुकेश पिता गंगाधर पाटील, निवासी ग्राम सिरपुर, तहसील खकनार, जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश था. लेकिन मेरा वास्तविक नाम सचिन पिता गंगाधर पाटील है तथा मैं अपने इस नाम परिवर्तन के पश्चात् अपने नवीन नाम सचिन पिता गंगाधर पाटील का ही उपयोग करूंगा तथा मेरे समस्त शासकीय अभिलेखों में इसी नाम सचिन पिता गंगाधर पाटील का उपयोग करूंगा तथा मुझे इसी नाम से जाना व पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(मुकेश)

नया नाम :

(सचिन)

पिता गंगाधर पाटील,
निवासी ग्राम सिरपुर, तहसील खकनार,
जिला बुरहानपुर, मध्यप्रदेश.

(86-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मेरी पुत्री का नाम कु. सुरक्षा कठल था, जिसे मैंने परिवर्तित कर कु. रम्या कठल कर लिया है. अत: अब से मेरी पुत्री को उसके नये नाम कु. रम्या कठल नाम से लिखा व पढ़ा जावे.

प्रशान्त कठल,

202, आकाक्षा अपार्टमेंट, 15, ललितपुर कॉलोनी,
लश्कर, ग्वालियर (म.प्र.).

(87-बी.)

नाम परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि पूर्व में मैं, पंकज गोयल पुत्र श्री शंकरलाल गोयल के नाम से पहचाना जाता था और इसी नाम से हस्ताक्षर करता था. अब मैंने अपना नाम बदलकर पंकज कुमार गोयल पुत्र श्री शंकरलाल गोयल रख लिया है. अब वर्तमान में मैं इसी नाम से जाना पहचाना जाता हूँ और इसी नाम से अपने हस्ताक्षर करता हूँ.

पुराना नाम :

(पंकज गोयल)

नया नाम :

(पंकज कुमार गोयल)

पुत्र श्री शंकरलाल गोयल,
निवासी-आई 14, साईट नं.1,
सिटी सेन्टर, ग्वालियर, मध्यप्रदेश.

(88-बी.)

नाम परिवर्तन

मैं, रजनी योजना जैन अपना पूर्व नाम रजनी जैन Rajani Jain के स्थान पर अपना नया नाम रजनी योजना जैन Rajani Yojana Jain कराना चाहती हूँ. भविष्य में रजनी योजना जैन Rajani Yojana Jain के नाम से जानी व पहचानी जाऊंगी.

पुराना नाम :

(Rajani Jain)

नया नाम :

(Rajani Yojana Jain)
Address-26, New M.L.A. Quater,
Jawahar Chouk, T.T. Nagar, Bhopal (M.P.).

(89-B.)

नाम परिवर्तन

मैं, आभास ने अपना नाम परिवर्तन कर आभास जैन कर लिया है. अब से मुझे इसी नाम से जाना-पहचाना जावे.

पुराना नाम :

(आभास)

नया नाम :

(आभास जैन)

पता-33, आदित्य नगर, इन्दौर (म.प्र.).

(90-बी.)

उप-नाम परिवर्तन

पूर्व में मेरा नाम आशीष जैन पिता श्री नरेन्द्र जैन, 78, कसेरा बाजार, इन्दौर था, परन्तु अब मैंने अपना नाम बदलकर आशीष मेहता रख लिया है. अब से मुझे आशीष मेहता के नाम से जाना जावेगा.

पुराना नाम :

(आशीष जैन)

नया नाम :

(आशीष मेहता)
पता-फ्लेट नं.105, साकार ट्रेरेस,
2/2, न्यू पलासिया, इन्दौर (म.प्र.).

(94-बी.)

नाम परिवर्तन

हमने हमारे पुत्र मोहम्मद हुसैन का नाम परिवर्तन कर मोहम्मद हुसैन आशकीवाला कर लिया है. अब से हमारे इस पुत्र को इसी नाम से जाना पहचाना जावें.

माता—**नफीसा हुसैन,**
पिता—**बाकिर हुसैन,**
पता—186-187, खातीवाला टैंक,
राज पैलेस, फ्लैट नं. 301, इन्दौर (म. प्र.).

(95-बी.)

सूचना

इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट, 1932 की धारा-63 (1) के अधीन इसके द्वारा यह सूचना दी जाती है.

फर्म मै. श्री हनुमंत कृपा कन्स्ट्रक्शन कपिल धारा कॉलोनी, वार्ड नम्बर 7, बिजुरी, पोस्ट बिजुरी, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश की रचना में निम्नलिखित रूप से परिवर्तन किया गया है जो कि फर्म में सम्मिलित होने वाले साझेदार का नाम इस प्रकार है (1) अशोक अग्रवाल पिता श्री चिन्तामणि अग्रवाल, उम्र 28 वर्ष, पता बस्ती रोड, चेतना नगर, अनूपपुर, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश, (2) जगदीश केवट पिता श्री मनीराम केवट, उम्र 40 वर्ष, पता ग्राम डोगरियां, पोस्ट बिजुरी, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश, (3) दुर्गा सिंह पिता श्री शंकरदयाल सिंह, उम्र 40 वर्ष, पता पसान, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश, (4) प्रीतम सिंह पिता श्री शंकरदयाल सिंह, उम्र 30 वर्ष, पता पसान, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश, (5) विक्रम सिंह पिता श्री विजय सिंह, उम्र 22 वर्ष, पता यमुना कालरी, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश. ये पांचो सदस्य दिनांक 08 मई, 2014 से फर्म में साझेदारी के रूप में सम्मिलित हुये हैं तथा दो नाम पूर्व से फर्म में साझेदारी के रूप में शामिल हैं जो इस प्रकार है (1) उमा कांत द्विवेदी पिता श्री जीवनलाल द्विवेदी, उम्र 39 वर्ष, पता बिजुरी, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश, (2) मुन्नालाल केवट पिता श्री श्यामलाल केवट, उम्र 41 वर्ष, पता कपिलधारा कॉलोनी बिजुरी, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश तथा उक्त फर्म से निकलने वाले साझेदार का नाम श्री ईशांत पाल पिता श्री अरविंद पाल, उम्र 30 वर्ष, तहसील कॉलोनी, जिला अनूपपुर मध्यप्रदेश.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म में जुड़ने वाले व निकलने वाले साझेदार के नामों पर यदि किसी को कोई आपत्ति हो तो प्रकाशन दिनांक से एक सप्ताह के अन्दर सहायक रजिस्ट्रार, फर्म एवं संस्थाएं, रीवा मध्यप्रदेश के कार्यालय में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं.

सूचनाकर्ता साझेदार
अशोक अग्रवाल,
पिता श्री चिन्तामणी अग्रवाल,
निवासी अनूपपुर, मध्यप्रदेश.

(84-बी.)

जाहिर सूचना

फर्म मेसर्स श्री प्रदाय इण्डस्ट्रीज, इण्डियन पार्टनरशिप एक्ट के अन्तर्गत फर्मों के रजिस्ट्रार, भोपाल के रजिस्टर में क्रमांक 01/01/01/00061/11, सन् 2011-2012 पार्टनरशिप फर्म के रूप में दर्ज हैं. इस फर्म में पार्टनर श्रीमति प्रेम अरोरा पत्नी स्व. श्री प्रवीण अरोरा, दिनांक 01 अप्रैल, 2014 से सम्मिलित की गई हैं एवं पार्टनर श्री रोहित अरोरा आ. श्री प्रवीण अरोरा, दिनांक 01/04/2014 से पृथक् हुए हैं. फर्म का कार्यालय-8, एस. बी. आई. कॉलोनी, एम. पी. नगर, जोन-II, भोपाल से परिवर्तित होकर 6, एस. बी. आई. कॉलोनी, एम. पी. नगर, जोन-II, भोपाल हो गया है. वर्तमान में फर्म में निम्न पार्टनर हैं. (1) दीपक श्रीवास्तव आ. स्व. श्री एस. सी. श्रीवास्तव एवं (2) श्रीमति प्रेम अरोरा पत्नी स्व. श्री प्रवीण अरोरा है.

द्वारा-मैसर्स श्री प्रदाय इण्डस्ट्रीज
दीपक श्रीवास्तव,
(पार्टनर).

(85-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मैसर्स कल्पवृक्ष इंडस्ट्री का गठन दिनांक 1 जून, 2010 को किया गया था, जिसका पंजीयन क्रमांक 01/01/01/00066/13, दिनांक 30 अप्रैल, 2013 है, फर्म में वर्तमान भागीदार श्रीमती कीर्ति-प्रमोद कुमार जैन, निवासी अहमदाबाद, श्रीमती क्रांती-स्व. श्री नरेन्द्र कुमार जैन, निवासी भोपाल, श्रीमती संगीता-श्री व्रजेश कुमार जैन, निवासी भोपाल, श्रीमती ममता-श्री नरेश कुमार जैन, निवासी भोपाल, श्रीमती अभिलाषा-श्री हितेष कुमार जैन, निवासी भोपाल हैं.

दिनांक 1 अप्रैल, 2014 से श्री व्रजेश कुमार जैन पिता स्व. श्री विमलचंद जैन को भागीदार की हैसियत फर्म में सम्मिलित कर लिया गया है एवं पूर्व भागीदार श्रीमती कीर्ति-प्रमोद कुमार जैन, निवासी अहमदाबाद, श्रीमती क्रांती-स्व. श्री नरेन्द्र कुमार जैन, निवासी भोपाल एवं श्रीमती अभिलाषा-श्री हितेष कुमार जैन, निवासी भोपाल स्वेच्छा से फर्म से हट गये हैं. फर्म में भागीदारों की स्थिति, नियम व शर्तें संशोधित बिल के अनुसार होंगी. इस संदर्भ में जिस को भी आपत्ति हो 10 दिवस के अन्दर फर्म के कार्यालय में सूचित करें.

वास्ते-मैसर्स कल्पवृक्ष इंडस्ट्री
ममता जैन,
(पार्टनर)
46, वंजारी गाँव, कोलार रोड,
भोपाल (मध्यप्रदेश).

(97-बी.)

नाम-पता परिवर्तन

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि मेसर्स सुराना टेडर्स फर्म, जिसका पता 11/2, रानीपुरा, इन्दौर है. एक भागीदारी फर्म है, उक्त भागीदारी फर्म में हम 1. श्री अनील सुराना पिता स्व. श्री विमलचन्द सुराना, 2. श्री सौरभ सुराना पिता श्री अनील सुराना दो भागीदार हैं.

अब दिनांक 01-04-2013 से हम दोनों भागीदारों ने आपसी सहमती से उक्त फर्म मेसर्स सुराना टेडर्स का नाम एवं पता परिवर्तित कर लिया है अब इस फर्म का नया नाम-मेसर्स सुराना फेब्रिकेटर्स (इन्डिया) एवं नया पता—28, रामबाग, इन्दौर, म. प्र. हो गया है, अतः अब से हमारी फर्म को उसके नये नाम एवं पते से लिखा, पढ़ा जाए.

वास्ते-मेसर्स सुराना फेब्रिकेटर्स (इन्डिया),
1. श्री अनील सुराना
2. श्री सौरभ सुराना,
(भागीदार).

(93-बी.)

आम सूचना

सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि फर्म मैसर्स राजलक्ष्मी कन्स्ट्रक्शन, 8, न्यू सिटी कॉलोनी, ए. बी. रोड, गुना में दिनांक 01-01-2014 को श्री अरविन्द धाकड़ पुत्र श्री राधेश्याम धाकड़, निवासी एम. आई. जी. 59, साड़ा कॉलोनी, राघौगढ़, गुना अपनी स्वेच्छा से फर्म से पृथक् हो गये हैं एवं इसी दिनांक को राधेश्याम धाकड़ पुत्र श्री अमरलाल धाकड़ अपनी स्वेच्छा फर्म में सम्मिलित हो गये हैं. आमजन एवं सर्वजन सूचित हों.

सूर्यप्रकाश रघुवंशी
फर्म—राजलक्ष्मी कंस्ट्रक्शन,
8, न्यू सिटी कॉलोनी, ए. बी. रोड, गुना (म. प्र.).
द्वारा—अनिल अग्रवाल (एडवोकेट)
303, खुर्जेवाला मौहल्ला, दौलतगंज, लश्कर, ग्वालियर.

(96-बी.)

मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग, इन्दौर

इन्दौर, दिनांक 25 अप्रैल, 2014

(राज्य सेवा मुख्य लिखित परीक्षा-2012, परीक्षा परिणाम)

वि. क्र. 12/07/2014/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2012/01 अक्टूबर, 2012 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 23 नवम्बर, 2012 (1) शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/03/परीक्षा/2012/22 अक्टूबर, 2012, (2) शुद्धि-पत्र क्रमांक-02/03/परीक्षा/2012/03 नवम्बर, 2012, (3) शुद्धि-पत्र क्रमांक-03/03/परीक्षा/2012/19 नवम्बर, 2012, (4) शुद्धि-पत्र क्रमांक-04/03/परीक्षा/2012/20 नवम्बर, 2012, (5) शुद्धि-पत्र क्रमांक-05/03/परीक्षा/2012/01 अप्रैल, 2013, (6) शुद्धि-पत्र क्रमांक-06/03/परीक्षा/2012/17 जून, 2013 एवं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 आयोजन की सूचना दिनांक 26 जून, 2013 एवं विज्ञप्ति क्रमांक-380/04/2013/परीक्षा-08/दिनांक 05 अगस्त, 2013, परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन. यह परीक्षा दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 से 25 अक्टूबर, 2013 तक राज्य सेवा के कुल 400 पदों के लिए मध्यप्रदेश के सम्भागीय मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में आयोजित की गई थी. उपरोक्त परीक्षा में विज्ञापित पदों के श्रेणीवार

संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित हैं. प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है.

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या 1191 है इनमें महिला 382, विकलांग 39, भूतपूर्व सैनिक 21 एवं शेष 749 आवेदक प्रावधिक अर्ह हैं. इस परीक्षा परिणाम में भूतपूर्व सैनिक वर्ग में अनारक्षित 18, अनुसूचित जाति 05, अनुसूचित जनजाति 01 कुल 24 भूतपूर्व सैनिक उत्तीर्ण अर्ह आवेदक कम पाए गए हैं. अर्ह आवेदक संख्या में समान अंक आवेदक 15 सम्मिलित हैं.

राज्य सेवा मुख्य लिखित परीक्षा-2012 के संदर्भ में दायर रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यूपी. 20409/2013 के आदेश दिनांक 22 जनवरी, 2014 के निर्णय (Appointment if any made shall be subject to final decision of the writ petition) के पालन में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 का घोषित परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के याचिका के अंतिम निर्णय के अद्यधीन रहेगा.

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदक अनुप्रमाण फार्म तीन प्रति, व्यक्तिगत विवरण फार्म छः प्रति, आयोग की वेबसाईट- www.mppsc.nic.in & www.mppsc.com से डाउनलोड करके पूर्ण जानकारी सहित परीक्षा के लिए भरे गए मूल आवेदन की प्रति के साथ विज्ञापन की शर्तों एवं अर्हता के अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता का प्रमाण-पत्र (चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण-पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो) भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 20 मई, 2014 तक आयोग कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से भेजना सुनिश्चित करेंगे. जिन आवेदकों की उक्त आवेदन-पत्र जानकारी सहित दिनांक 20 मई, 2014 तक आयोग में जमा नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं. अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी.

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात् सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी.

साक्षात्कार दिनांक 30 जुलाई, 2014 से आयोजित होंगे.

महत्वपूर्ण टीपः—

1. सूची में दर्शाये गये परीक्षा परिणाम पूर्णतः प्रावधिक है, यदि प्रत्याशी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी.
2. राज्य सेवा परीक्षा-2012 के आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र में यदि त्रुटि पूर्ण, अपूर्ण, असत्य, भ्रामक जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
3. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रामाणिक मानी जायेगी.
4. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी कोई कम्प्यूटर त्रुटियां या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.
5. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम आवेदक आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com & www.mppsc.nic.in पर देख सकेंगे एवं इसका प्रकाशन रोजगार और निर्माण के आगामी अंक में प्रकाशित किया जायेगा.

मनोहर दुबे,
सचिव.

(356)

राज्य सेवा मुख्य लिखित परीक्षा-2012, परीक्षा परिणाम

इन्दौर, दिनांक 25 अप्रैल, 2014

वि. क्र. 12/07/2014/अनु.-10.—मध्यप्रदेश लोक सेवा आयोग द्वारा विज्ञापित विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2012/01 अक्टूबर, 2012 ऑनलाईन आवेदन अंतिम तिथि 23 नवम्बर, 2012 (1) शुद्धि-पत्र क्रमांक-01/03/परीक्षा/2012/22 अक्टूबर, 2012, (2) शुद्धि-पत्र क्रमांक-02/03/परीक्षा/2012/03 नवम्बर, 2012, (3) शुद्धि-पत्र क्रमांक-03/03/परीक्षा/2012/19 नवम्बर, 2012, (4) शुद्धि-पत्र क्रमांक-04/03/परीक्षा/2012/20 नवम्बर, 2012, (5) शुद्धि-पत्र क्रमांक-05/03/परीक्षा/2012/01 अप्रैल, 2013, (6) शुद्धि-पत्र क्रमांक-06/03/परीक्षा/2012/17 जून, 2013 एवं राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 आयोजन की सूचना दिनांक 26 जून, 2013 एवं विज्ञप्ति क्रमांक-380/04/2013/परीक्षा-08/दिनांक 05 अगस्त, 2013, परीक्षा कार्यक्रम में संशोधन. यह परीक्षा दिनांक 01 अक्टूबर, 2013 से 25 अक्टूबर, 2013 तक राज्य सेवा के कुल 400 पदों के लिए मध्यप्रदेश के सम्भागीय मुख्यालय इन्दौर, भोपाल, ग्वालियर एवं जबलपुर में आयोजित की गई थी. उपरोक्त परीक्षा में विज्ञापित पदों के श्रेणीवार संख्या के पदों के तीन गुना जिसमें समान अंक प्राप्त अर्ह आवेदक भी सम्मिलित हैं. प्रावधिक अर्ह घोषित किया गया है.

घोषित परीक्षा परिणाम में आवेदकों की कुल प्रावधिक अर्ह संख्या 1191 है इनमें महिला 382, विकलांग 39, भूतपूर्व सैनिक 21 एवं शेष 749 आवेदक प्रावधिक अर्ह हैं. इस परीक्षा परिणाम में भूतपूर्व सैनिक वर्ग में अनारक्षित 18, अनुसूचित जाति 05, अनुसूचित जनजाति 01 कुल 24 भूतपूर्व सैनिक उत्तीर्ण अर्ह आवेदक कम पाए गए हैं. अर्ह आवेदक संख्या में समान अंक आवेदक 15 सम्मिलित है.

राज्य सेवा मुख्य लिखित परीक्षा-2012 के संदर्भ में दायर रिट याचिका क्रमांक डब्ल्यू. पी. 20409/2013 के आदेश दिनांक 22 जनवरी, 2014 के निर्णय (Appointment if any made shall be subject to finial decision of the writ petition) के पालन में राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 का घोषित परीक्षा परिणाम माननीय उच्च न्यायालय जबलपुर के याचिका के अंतिम निर्णय के अद्यधीन रहेगा.

साक्षात्कार हेतु प्रावधिक अर्ह आवेदक अनुप्रमाणन फार्म तीन प्रति, व्यक्तिगत विवरण फार्म छः प्रति, आयोग की वेबसाईट- www.mppsc.nic.in & www.mppsc.com से डाउनलोड करके पूर्ण जानकारी सहित परीक्षा के लिए भरे गए मूल आवेदन की प्रति के साथ विज्ञापन की शर्तों एवं अर्हता के अनुसार आयु, शैक्षणिक योग्यता, जाति प्रमाण-पत्र, निवास प्रमाण-पत्र, विकलांग प्रत्याशी विकलांगता का प्रमाण-पत्र (चिकित्सा मण्डल द्वारा जारी विकलांगता का प्रमाण-पत्र जिसमें विकलांगता 40 प्रतिशत से अधिक हो) भूतपूर्व सैनिक आवेदक भूतपूर्व सैनिक का प्रमाण-पत्र, शासकीय सेवक सेवा का प्रमाण-पत्र एवं अनापत्ति प्रमाण-पत्र एवं अन्य समस्त प्रमाण-पत्र जिसकी आवेदन-पत्र में जानकारी दी गई है के समर्थन में इनकी सत्यापित प्रतिलिपि संलग्न कर दिनांक 20 मई, 2014 तक आयोग कार्यालय में रजिस्टर्ड डाक से भेजना सुनिश्चित करेंगे. जिन आवेदकों की उक्त आवेदन-पत्र जानकारी सहित दिनांक 20 मई, 2014 तक आयोग में जमा नहीं होने की स्थिति में यह माना जायेगा कि वे साक्षात्कार में भाग नहीं लेना चाहते हैं. अतः उनकी उम्मीदवारी निरस्त कर दी जायेगी.

आवेदक द्वारा आवेदन-पत्र में दी गई जानकारी की आयोग कार्यालय द्वारा सूक्ष्म जाँच पश्चात् ही सही पाई जाने पर ही आवेदक को साक्षात्कार की पात्रता होगी.

साक्षात्कार दिनांक 30 जुलाई, 2014 से आयोजित होंगे.

प्रावधिक अर्ह पाये गये 1191 अभ्यर्थियों के रोल नम्बर एवं नाम निम्नानुसार हैं:-

MADHYA PRADESH PUBLIC SERVICE COMMISSION
STATE CIVIL SERVICE MAIN EXAMINATION, 2012
ROLL NO. WISE LIST OF PROVISIONALLY SUCCESSFUL CANDIDATES

S.No.	Roll No.	Name
1	100744	ADARSH SONI
2	101021	AJAY MUJALDE
3	101154	AJIT DONGRE
4	101215	AKANKSHA SINGH
5	101461	AKHILESHWAR SINGH
6	102243	AMRATA JAIN
7	102328	ANAMIKA RAMTEKE
8	103656	ANNAPURNA SIRSIYA
9	103696	ANSHU JAWALA
10	103821	ANU BANZAL
11	103915	ANUPAM KUMAR PATEL
12	103951	ANURADHASAKWAR
13	103976	ANURADHA RATHORE
14	104098	ANVITI TIWARI
15	104119	APARNASAHU
16	104251	ARCHANA MAHOR
17	104281	ARCHANA RAWAT
18	104664	ARUN KUMAR SHARMA
19	104690	ARUN PRATAP SINGH NIRAN

S.No.	Roll No.	Name
20	104898	ASHACHOUHAN
21	104991	ASHISH BAROD
22	104993	ASHISH BHARADE
23	105069	ASHISH KUMAR DWIVEDI
24	105276	ASHIYA BEGUM KHAN
25	105345	ASHOK NAGLE
26	105550	ASHWINI RANPISE
27	105570	ASMITA SASANE
28	105714	AVDHESH YADAV
29	105962	BABULAL MANSURYA
30	105970	BABULAL KOCHALE
31	106117	BALU SINGH SASTIYA
32	106261	BHAGAT SINGH YADAV
33	106275	BHAGVATI PRASAD JONWAR
34	106465	BHARAT RANDHAVE
35	106513	BHARATI DEVI MISHRA
36	106666	BHAVANA PATNE
37	106889	BHUPENDRA MANDLOI
38	106904	BHUPENDRA RAWAT
39	107019	BIMLESH KUMAR GUPTA
40	107151	BRIJ DAS MEENA
41	107173	BRIJESH JINWAL
42	107394	CHANDRA KUMAR WATTE
43	107395	CHANDRA KUNWAR SINGH
44	107433	CHANDRABHAN BHALAVI
45	107455	CHANDRAKANT PATIDAR
46	107505	CHANDRASHEKHAR SONIS
47	107639	CHETAN SHINDE
48	107654	CHETAN VAID
49	107801	CHITRANSHI DAMOR
50	107940	DAYARAM VASUNIA
51	108011	DEEPAK DESHMUKH
52	108099	DEEPAK CHOUHAN
53	108117	DEEPAK DIGARSE
54	108243	DEEPAK MANJHY
55	108580	DEEPIKA DWIVEDI
56	109041	DEVENDRA YADAV
57	109418	DHARMENDRA YADAV
58	109645	DILEEP KUMAR SHRIVAS
59	109944	DINESH KUMAR CHANDEL

S.No.	Roll No.	Name
60	110263	DIWAKAR SINGH
61	110499	EKTA SONI
62	110590	GAGAN PATIDAR
63	110668	GAJENDRA SINGH YADAV
64	111500	GOVIND VERMA
65	111728	HARI SINGH SANODIYA
66	111975	HARSHITA SHARMA
67	112092	HEMANT CHAUBEY
68	112245	HEMLATA SHARMA
69	112337	HIMANI MISHRA
70	112407	HIMANSHU PATIDAR
71	112451	HINA KHAN
72	112490	HITENDRA KASHIKAR
73	113167	JAYA VASAVA
74	113218	JAYDEV DEEPANKAR
75	113302	JAYSHRI ATLASIYA
76	113304	JAYSHRI CHAUHAN
77	113407	JITENDRA ALAWA
78	113600	JITENDRA KUMAR VERMA
79	113725	JITENDRA SINGH NINGWAL
80	113740	JITENDRA SINGH GEHLOT
81	113884	JWELIKA VYAS
82	113981	JYOTI JATAV
83	114147	KAILASH NEWARE
84	114150	KAILASH SISODIYA
85	114169	KAILASH CHAUHAN
86	114320	KALPANA YADAV
87	114325	KALPNA SHARMA
88	114463	KAMAL SINGH TAWAR
89	114564	KAMLESH GOND
90	114616	KAMLESH PATIDAR
91	114988	KARMENDRA SAWALE
92	115120	KAVITA CHAUDHARY
93	115210	KAVITA SHRIVAS
94	115412	KIRAN AHIRWAR

S.No.	Roll No.	Name
95	115614	KISHORE PATEL
96	115875	KRISHNAKANT UIKEY
97	116075	KUNAL SONI
98	116081	KUNDAN PANDEY
99	116263	LAKHAN SINGH SISODIYA
100	116340	LALIT KUMAR RATHORE
101	116342	LALIT LOKSH
102	116642	LEKHRAM DARSIMA
103	116708	LOKENDRA SINGH THAKUR
104	116844	LOVENEET KORI
105	117086	MAHENDRA PATIDAR
106	117186	MAHENDRA PATIDAR
107	117244	MAHENDRA SINGH TADWAL
108	117453	MAHESH SINGH SOLANKI
109	117714	MANDAKINI DIXIT
110	117732	MANEESH KORI
111	117733	MANEESH KUMAR JAIN
112	117737	MANEESH KUMAR SOLANKI
113	117942	MANISH JAISWAL
114	117972	MANISH KUMAR CHAWDA
115	118116	MANISH SHENDE
116	118303	MANISHA YADAV
117	118511	MANOJ BAGOLE
118	118615	MANOJ KUMAR MOURYA
119	118672	MANOJ PAL SINGH
120	118802	MARISHA SHINDE
121	118808	MARY SHALINI
122	118849	MAYA MANDLOI
123	119448	MITHUN SONI
124	119473	MOHAMMAD ALAM
125	119636	MOHD UBED FAROOQUI
126	119665	MOHINI VERMA
127	119678	MOHIT BHARTI
128	119816	MONIKA MALVIYA
129	119954	MOOLCHAND GUPTA
130	119956	MOOLCHAND LODHI

S.No.	Roll No.	Name
131	120177	MUKESH KUMAR PATLE
132	120238	MUKESH PALIWAL
133	120455	NAMARTA SONDHIYA
134	120468	NAMITA PATEL
135	120652	NARENDRA MORI
136	120718	NARENDRA KUMAR GOND
137	120937	NAVEEN DUBEY
138	120947	NAVEEN KUMAR GOSWAMI
139	121017	NAVNEET RAIKWAR
140	121094	NEELAM KANOJ CHOUHAN
141	121161	NEELIMA RAJALWAL
142	121513	NEHA CHOUHAN
143	121543	NEHA GOYAL
144	121617	NEHA PACHISIA
145	121660	NEHA SAHU
146	121950	NIKHILESH RAKESHIYA
147	122012	NIKITA UIKEY
148	122086	NILESH GUPTA
149	122261	NIRMAL MANAGRE
150	**122350**	NISHA GEDAM
151	**122363**	NISHA MEHRA
152	122396	NISHANKI SINGHAI
153	122577	NITIN BAGHEL
154	122636	NITIN KUMAR CHOUDHARY
155	123153	PANKAJ DAWAR
156	123235	PANKAJ LAHOTI
157	123409	PARAG PANTHI
158	123869	PINKI PATEL
159	124010	PIYUSH PRASAD CHAUDHARY
160	124120	POOJA DWIVEDI
161	124388	POORTI TIWARI
162	124588	PRADEEP KUMAR SHARMA
163	124589	PRADEEP KUMAR SONI
164	124695	PRAGATI NETAM
165	124831	PRAKASH RANGSHAHI
166	125027	PRASANNA KUMAR GUPTA
167	125102	PRASHANT NAGDEVE
168	125134	PRASHANT SONI
169	125270	PRATIBHA MALVIYA

S.No.	Roll No.	Name
170	125456	PRAVEEN KUMAR GUPTA
171	125491	PRAVEEN OHARIYA
172	125516	PRAVEEN SHRIVAS
173	125520	PRAVEEN SINGH CHANGER
174	126366	PRIYANKA NETAM
175	126487	PRIYANKA VERMA
176	126502	PRIYANKA YADAV
177	126668	PURWA SINGH KASHYAP
178	126678	PUSHPA SINGH
179	126808	PUSHPRAJ TOPPO
180	127085	RAGHVENDRA SINGH PALIA
181	127204	RAHUL BHARTI
182	127354	RAHUL KUMAR KHARE
183	127397	RAHUL MANDLOI
184	128004	RAJENDRA SINGH CHOUHAN
185	128152	RAJESH GUPTA
186	128391	RAJKUMAR BAGRI
187	128734	RAKESH BHURIYA
188	128805	RAKESH KUMAR AHAKE
189	128977	RAKHI RATHORE
190	129067	RAM PRAVESH TIWARY
191	129216	RAMESH BHASKALE
192	129691	RANJITA BAWRE
193	129786	RASHMI DUBEY
194	130253	RAVINDRA DEWADA
195	130283	RAVINDRA KUMAR CHAURASI
196	130355	RAVINDRA SINGH CHOUHAN
197	130435	REENA KIRADE
198	130456	REENA BAGHEL
199	130543	REENA SOLANKI
200	130844	RHISHIKESH VAIDYA
201	131151	RITESH TANDIYA
202	131184	RITU AGRAWAL
203	131414	ROHIT LAKHARE
204	131432	ROHIT MUKATI
205	131565	ROOPREKHA YADAV
206	131601	ROSHANI PATIDAR
207	131614	ROSHNI BILWAL
208	131943	SACHIN BHASKARE
209	131945	SACHIN BHILWARE

S.No.	Roll No.	Name
210	132840	SANGEETA KURMI
211	132944	SANGEETA RAWAT
212	132962	SANGEETA THAKUR
213	133112	SANJAY CHOUHAN
214	133184	SANJAY KUMAR DEHARIA
215	133315	SANJAY SINGH ARYA
216	133366	SANJAY YADAV
217	133628	SANTOSH KUMAR VERMA
218	133688	SANTOSH SOLANKI
219	133725	SANTUSHTI PAL
220	133814	SAPNA KUMARI
221	133830	SAPNA PAGARE
222	133920	SARIKA PAL
223	134083	SATANAND SINGH ARMO
224	134105	SATENDRA SINGH GURJAR
225	134113	SATISH DHAKAR
226	134367	SAURABH SHARMA
227	134424	SAURABH SHARMA
228	134470	SAVITA MAKWANA
229	134480	SAVITA BHAYARE
230	134572	SEEMA GUPTA
231	134605	SEEMA CHOUKSEY
232	134734	SHABERA ANSARI
233	134930	SHAILENDRA SINGH NARWAR
234	135031	SHAKTI YADAV
235	135043	SHAKTI SINGH CHOUHAN
236	135158	SHANKAR NINGWAL
237	135337	SHASHANK PANDEY
238	135437	SHEELA BHADKARE
239	135711	SHIRALI JAIN
240	135876	SHIVDEVI PRAJAPATI
241	135924	SHIVNANDAN TIWARI
242	135997	SHOBHA CHAUHAN
243	136879	SONAL SIDAM
244	136958	SONAM JAIN
245	136974	SONAM JHARWADE
246	136979	SONAM MALVIYA
247	136989	SONAM RAWAT
248	137029	SONIKA SINGH

S.No.	Roll No.	Name
249	137534	SUMAN BATHAM
250	137661	SUMIT KUMAR JAIN
251	137831	SUNIL VERNA
252	137904	SUNIL JAT
253	138102	SUNIL SINGUNE
254	138349	SUPRIYA BISEN
255	138411	SURAJ SINGH JATAV
256	138600	SURESH CHANDRA MAKWANA
257	138642	SURESH KUMAR MESHRAM
258	138675	SURESH PATEL
259	138708	SURUCHI KHEDEKAR
260	138803	SUSHMA DHAKAD
261	138928	SWATI JAIN
262	138996	SWATI PRAJAPATI
263	139111	TANUJA MALVIYA
264	139506	UDAY BHAN BAGRI
265	139990	VANDANA CHOUHAN
266	140170	VARSHA PATIDAR
267	140574	VIJAY KUMAR SENANI
268	140872	VIKAS DAWAR
269	140883	VIKAS GAUTAM
270	140938	VIKAS MANDLOI
271	141005	VIKAS THAKUR
272	141141	VIKRAM SINGH MANDLOI
273	141211	VIMLESH RATHORE
274	141340	VINEETA PATIDAR
275	141521	VINOD KUMAR TAGORE
276	141539	VINOD MARKAM
277	141784	VIRENDRA SINGH BAGHEL
278	141815	VISHA MADHWANI
279	142147	VIVEK NAGWANSHI
280	142285	YAMINI SONVANE
281	142526	YOGESH KUMAR DAMA
282	142557	YOGESH MESHRAM
283	142570	YOGESH PATIDAR
284	142713	AADITYA RAJ CHAUHAN

S.No.	Roll No.	Name
285	142963	AJAY KUMAR MALVIYA
286	143571	ANOOP KUMAR SHRIVASTAVA
287	144488	CHANDRA SHEKHAR VYAS
288	144549	CHHAGAN SINGH BAMANIA
289	144795	DEEPTI KASHYAP
290	145132	DINESH KUMAR SONARTIYA
291	145506	GOKULPRASAD MEGHWAL
292	145979	ISHWAR LALCHOUHAN
293	146417	JYOTI YADAV
294	146755	KIRTI CHORDIA
295	146775	KIRTIBALA BHRAGU
296	146967	LALIT PANDEY
297	147017	LAXMI PARMAR
298	147713	MEENAKSHI HARVANSH
299	148123	NARAN SINGH MUWEL
300	148754	PADAMAKAR TELANG
301	148798	PANKAJ JAIN
302	149181	PRAHLAD DADING
303	149585	PRIYANKA CHOUHAN
304	150090	RAJESH RATHORE
305	150299	RAM KUMAR SHARMA
306	150459	RANJEETA ARYA
307	150479	RASHID ALI KHAN
308	150504	RASSU DAMOR
309	150716	REKHA PANCHAL
310	151528	SARVESH GHOSLE
311	152715	SUSHRUT TRIVEDI
312	153587	VIVEK PATIDAR
313	153669	YOGESH JATWA
314	153795	AMBUJ TRIPATHI
315	154341	JITESH KUMAR RAWAT
316	154817	PRAHLAD SINGH
317	154970	RAJESH KUMAR PANDEY
318	155117	RAVI SHANKAR DWIVEDI
319	155197	SANDEEP PARIHAR
320	155581	UTTAM KUMAR DWIVEDI
321	155657	VINOD KUMAR PRAJAPATI
322	155921	AMIT KUMAR RINAHITE
323	156721	GEETESH KUMAR MEHRA
324	156748	GUNJA PARASTE

S.No.	Roll No.	Name
325	157062	KIRTI DUBEY
326	158519	SABENDRA SINGH SIKARWAR
327	158831	SHAILESH SINGH THAKUR
328	158946	SHIVAM PANDEY
329	158991	SHRESHTHA
330	159023	SHWETA THAKUR
331	159175	SUNEEL KUMAR WARKADE
332	159838	ANAMIKA KANAUJIYA
333	160047	ARTI KULKARNI
334	160324	CHANCHAL THAKRE
335	161465	MANISH JAIN
336	161518	MANNU GOGIYA
337	162376	RADHUSINGH GAWLI
338	163606	SUNIL KUMAR MEENA
339	163762	TARINI JOHARI
340	164602	ANTIM KUMAR JAISWAL
341	165564	DR. RAVINDRA SINGH CHOU
342	166104	JITENDRA SINGH TOMAR
343	167839	PRAGYA GEETE
344	170826	ABHA SENGAR
345	171503	ADITYA KUMAR SURYAVANSH
346	171735	AJAY KUMAR OJHA
347	171737	AJAY KUMAR PANDORIYA
348	171821	AJAY SHANKAR YADAV
349	172574	AMARJEET KAUR ARORA
350	172591	AMBER RAJPUT
351	172884	AMIT KUMAR SARWAR
352	172893	AMIT KUMAR SHARMA
353	172905	AMIT KUMAR SINGH
354	173426	ANIL JAIN
355	173817	ANJU KAURAV
356	173953	ANKIT KUMAR AGARWAL
357	174491	ANUPAM PATEL
358	174501	ANUPAM SINGH
359	174551	ANURADHA SHARMA
360	174772	ARCHANA DINKAR
361	174840	ARCHANA PARIHAR

S.No.	Roll No.	Name
362	175024	ARTI PAWLE
363	175046	ARTI SINGH
364	175091	ARUN DEEP KSHARI
365	175267	ARVIND SHARMA
366	175389	ARVIND SHARMA
367	175580	ASHISH BHARDWAJ
368	175691	ASHISH KUMAR SHILPI
369	175877	ASHOK KUMAR VERMA
370	175950	ASHUTOSH
371	175958	ASHUTOSH PANDEY
372	175978	ASHUTOSH DINKAR
373	176398	AVINASH PRATAP SINGH
374	176956	BHANU PRATAP SINGH
375	177091	BHARTI DANGI
376	177242	BHIMADARSH MUKESH BODHY
377	177565	BRAJENDRA SANSIYA
378	178280	DAYASHANKAR NA
379	178608	DEEPAK PATHAK
380	178743	DEEPAM KAUSHAL
381	178871	DEEPMALA SAINI
382	178966	DESHRAJ MAHOUR
383	179232	DEVESH CHATURVEDI
384	179409	DHARMENDRA RAJPUT
385	179777	DHIRENDRA .
386	180015	DINESH KUMAR
387	180083	DINESH KUMAR IMLAY
388	180087	DINESH KUMAR MALVIYA
389	180149	DINESH SINGH TOMAR
390	180290	DR ADITYA K TIWARI
391	180299	DR SHWETA BHADAURIA
392	180582	GAJENDRA SINGH YADAV
393	180684	GAURAV JAIN
394	180734	GAURAV BATHAM
395	181227	GOPAL SINGH JATAV
396	181384	GUNJAN SRIVASTAVA
397	181560	HARENDRA SINGH MAWAI

S.No.	Roll No.	Name
398	181887	HEERENDRA SINGH KUSHWAH
399	181959	HEMANT KUMAR DHAKAR
400	182104	HIMANI YADAV
401	182296	HOMENDRA PATLE
402	.182316	HRIDESH YADAV
403	182465	ISHANK DHAKAD
404	183065	JITENDRA KUMAR KHISHANY
405	183511	JYOTI VERMA
406	183819	KAMLESH SAINI
407	183911	KANCHAN SINGH NAGEL
408	184446	KIRANBALA DOHARE
409	184783	KRISHNA PAL SINGH
410	184796	KRISHNA RAWAT
411	184829	KRITI DIXIT
412	185752	MAHAVEER JATAV
413	185763	MAHAVIR SINGH JAT
414	186398	MANISH KUMAR JAIN
415	186777	MANOJ JAKHENIA
416	187205	MAYANK YADAV
417	187352	MEENU MAGRAIYA
418	187447	MINI AGRAWAL
419	187586	MOHAMMED YUNUSH QURESH
420	187753	MOHIT KUMAR YADAV
421	188371	NAGENDRA SINGH GURJAR
422	188499	NANDKISHORE AISHWAR
423	188618	NARENDRA SAVITA
424	188810	NAVEEN BHARDWAJ
425	189088	NEELESH YADAV
426	189851	NIRANJAN SINGH RAJPOOT
427	190202	NITIN KUMAR SHARIYA
428	190765	PARITOSH KUMAR SHILPKAR
429	190979	PAWAN KUMAR DOHARE
430	191529	PRABHAKAR SINGH
431	192109	PRAMOD SHAKYA
432	192255	PRASHANT GAHALOT
433	192950	PREM NANDAN SINGH

S.No.	Roll No.	Name
434	193015	PRINCE CHAUDHARY
435	193365	PRIYANKA SINGH
436	193453	PUNEET JAIN
437	194103	RAHUL GUPTA
438	194693	RAJEEV SINGH PAWAIYA
439	194742	RAJENDRA KUMAR JATAV
440	194796	RAJENDRA SINGH VIKRAM
441	195040	RAJKISHOR SINGH GURJAR
442	195412	RAKESH KUMAR LALIT
443	195598	RAM ASHISH YADAV
444	196017	RAMN1WAS VIDHOLIYA
44 5	196489	RAVI BARELIA
446	196708	RAVI SHANKAR PAVAIYA
447	196834	RAVINDRA BILWAL
448	196950	RAVISHANKAR YADAV
449	197478	RISHU KUMAR SUMAN
450	197553	RITU KEVRE
451	197605	RIZUTA CHAUHAN
452	197621	ROBIN JAIN
453	197675	ROHIT RANJAN JHA
454	197902	ROSHAN SINGH BATHAM
455	197968	RUCHI AGRAWAL
456	198102	RUSHALI PORAS
457	198662	SANDEEP KUMAR SHAKYA
458	198878	SANGEETA SINGH
459	198888	SANGH PRIY SAMRAT
460	198895	SANGITA DEVI YADAV
461	199267	SANJEEV KUMAR TIWARI
462	199574	SAPNA RAI
463	199979	SATISH MATSANIYA
464	200258	SAURABH KUMAR
465	200474	SEEMA CHATURVEDI
466	200539	SEEMA THAKUR
467	200719	SHAILENDRA SHARMA
468	200781	SHAILESH AWASTHI
469	201144	SHASHI KAPOOR GADPALE
470	201547	SHIVA BHADAURIA
471	201828	SHREELEKHA SHROTRIYA
472	202021	SHWETA GUPTA

S.No.	Roll No.	Name
473	202062	SHWETA TOMAR
474	203182	SUMIT PATHAK
475	203745	SURENDRA BARELIA
476	204445	TRAPTI CHAUHAN
477	204510	UDAY BHAN SINGH
478	204886	UTKARSH MISHRA
479	205073	VANDANA VASHISTH
480	205171	VARUN BADERIYA
481	205305	VEERENDRA DHARVE
482	205329	VEERENDRA VERMA
483	205351	VIBHAKAR SHARMA
484	205741	VIKAS KUMAR SINGH
485	205746	VIKAS MATHE
486	206019	VIMAL KUMAR SHAKY A
487	206029	VIMIT KUMAR GUPTA
488	206662	VISHAL SONI
489	206823	VIVEK GAUD
490	207352	YOGESH PRATAP MISHRA
491	207548	AKANKSHA SINGH TOMAR
492	207574	ALOK SHRIVASTAVA
493	207613	AMIT KUMAR TITORIYA
494	207822	ARJUN SINGH SOLANKI
495	208173	BRIJ BIHARI LAL SHRIVAS
496	208379	DEVENDRA PANT
497	208439	DHARMENDRA SINGH CHOUHAN
498	208661	GIRRAJ SINGH
499	208907	JAGDISH SINGH BHIL
500	208924	JAIPRAKASH GAUTAM
501	208977	JITENDRA KUMAR DHAKAD
502	208999	JITENDRA SINGH YADAV
503	209007	JYESHTHA MAITREI
504	209041	JYOTI SUNHARE
505	209412	MAHESH SHIVHARE
506	210238	PRADEEP KUMAR BHARGAVA
507	210266	PRADUMAN MEENA

S.No.	Roll No.	Name
508	210313	PRAMOD KUMAR SHARMA
509	210328	PRASHANT KUMAR SHARMA
510	210454	PRIYANKA PANDEY
511	210879	RAMJILAL JATAV
512	210902	RAMSEVAK MEENA
513	211013	RAVINDRA KUMAR SURYAVAN
514	211124	ROHIT RAGHUWANSHI
515	211167	SABITA PARIHAR
516	211183	SACHIN SAXENA
517	211322	SANJEEV KUMAR KIRAR
518	211452	SATYENDRA LODHA
519	211673	SHRUTIKA RAI
520	211700	SIDDHARTH BHUSHAN
521	211928	SURESH JADAV
522	212297	VISHAL SEN
523	212458	ADITYA KUMAR
524	212663	AMIT KUMAR TAMRAKAR
525	213616	CHANDRABHAN AHIRWAR
526	216093	PRAKASH CHAND CHAURASIA
527	216340	PRIYANKA RANI CHAURASIA
528	216446	RACHNA RATHOR
529	216877	RAM MOHAN AHIRWAR
530	217073	RANU JAIN
531	217566	SANJEEV SAHU
532	217852	SHAILESH KUMAR
533	218125	SITA LANGADE
534	219244	AKHILESH SHIVWEDI
535	220543	BANDU SURYAWANSHI
536	220849	BRAJESH KUMAR RAI
537	221314	DEEPMALA AHKEY
538	221510	DHARAMRAJ TANDEKAR
539	223072	KALPANA PAHADE
540	223883	LEENA UIKEY
541	224607	MEENAKSHI DAHRE
542	224894	MONIKA SONI

S.No.	Roll No.	Name
543	225084	NAMAN JAIN
544	225094	NAMRATA BAHESHWAR
545	226212	PEEYUSH BOPCHE
546	226238	PIYUSH KUMAR SINGH
547	226353	POONAM MESHRAM
548	226422	PRABHAT KUMAR SONI
549	226424	PRABHATI AMRAWANSHI
550	226616	PRAMOD KUMAR SONI
551	226873	PREETI RANI CHOURASIA
552	227263	RAGHUVAR SHAH UIKEY
553	227436	RAJENDRA PRASAD PATEL
554	229074	SANDEEP SINGH THAKUR
555	229224	SANGITA CHOUREY
556	229730	SATISH MANOTE
557	230201	SHASHIKALA KULDEEP
558	230621	SHUBHANK KHARE
559	230992	SUCHITA EKKA
560	231032	SUDHIR KUMAR SURYAWANSH
561	232239	VIJAY YADAV
562	232613	VISHAL SHRIVAS
563	233161	ABHINANDANA SHARMA
564	233239	ABHISHEK VAJPAYEE
565	233841	AKANKSHA CHOURASIYA
566	233846	AKANKSHA PARASTE
567	233907	AKANSHA TALYA
568	234481	AMIT KUMAR MISHRA
569	234719	AMRITA CHOUKSEY
570	234801	ANAMIKA UPADHYAY
571	235052	ANIL KUMAR MANDRAH
572	236616	ARVIND KUMAR LODHI
573	236638	ARVIND KUMAR YADAV
574	236659	ARVIND ROSTA
575	236808	ASHISH DIXIT
576	237048	ASHISH VATIYA
577	237223	ASHWINI KUMAR BHATORE

S.No.	Roll No.	Name
578	237750	BHARAT KUMAR
579	237922	BHOOPENDRA SINGH PANDRO
580	238467	CHITRA RAI
581	238586	DEENANATH CHOUDHARY
582	239445	DHEERENDRA KUMAR SHRIVA
583	239880	DURGESH PATEL
584	239961	FAREED AHMED
585	240294	GEETANJALI SEN
586	240360	GIRISH SINGH RAJPUT
587	240456	GOVIND DUBEY
588	240903	HIMANSHU BHALAVI
589	241013	INDRA KUMAR SAHU
590	241488	JITENDRA KUMAR SHARMA
591	241757	JYOTI YADAV
592	241892	KAMAL KANT PARASTE
593	242041	KAMLESHWAR SINGH DHURWE
594	242769	KU. AKANKSHA SINGH
595	242898	KUNWAR VISHWANATH SINGH
596	243081	LAXMI PANDEY
597	243549	MAMTA KULASTE
598	243798	MANISH SONKAR
599	243880	MANISHA SURYA
600	243977	MANJUSHA SHARMA
601	244185	MARYADA BAGDE
602	244482	MINAL GUPTA
603	244647	MOHAN LAL MALVIYA
604	244768	MOHNISH WADIWA
605	245040	MUKESH PATEL
606	245605	NEELESH KUMAR SINGH
607	245645	NEELMANI MARAVI
608	245666	NEEU SONI
609	245730	NEERAJ KUMAR MAIDA
610	245754	NEERAJ NAMDEO
611	245829	NEETI SONWAY
612	246102	NIDHI MARCO

S.No.	Roll No.	Name
613	246143	NIDHI MAHOVIA
614	246184	NIDHI SINGH GOHAL
615	246418	NISHA JAIN
616	246716	NITU BANSOD
617	246838	OMPRAKASH NARNOURE
618	246950	PANKAJ JAIN
619	248129	PRAMOD KUMAR OJHA
620	248140	PRAMOD KUMAR UIKEY
621	248254	PRASHANT KUMAR GONTIA
622	249087	PRIYANKA JHARIYA
623	249757	RAHUL KUMAR SONI
624	249971	RAJARAMAN MARKO
625	250209	RAJESH KUMAR MEHRA
626	250376	RAJKUMAR MATHUR
627	250837	RAM SINGH TEKAM
628	250898	RAMBHAROS SINGH
629	251126	RANJANA YADAV
630	251372	RASHMI TANTUWAY
631	251564	RAVI SHANKAR PANDEY
632	251761	REETI SONWAY NAG
633	252020	RINKAL GHANGHORIA
634	252050	RISHABH THAKUR
635	252701	RUPESH KUMAR JAIN
636	253046	SANDEEP GHANGHORIA
637	253235	SANDHYA PATEL
638	253460	SANJAY KUMAR SHARMA
639	253477	SANJAY KUMAR KAWARE
640	253644	SANTOSH KOL
641	253698	SANTOSH KUMAR PATEL
642	253756	SANTOSH YADAV
643	253808	SAPNA DHURWE
644	253811	SAPNA JAIN
645	253886	SARIKA RAWAT
646	253968	SARITA NAYAK
647	253983	SARITA RAWAT
648	254107	SATISH HALVA
649	254120	SATISH KUMAR JHARIYA

S.No.	Roll No.	Name
650	254149	SATISH PATEL
651	254152	SATISH SAHU
652	254265	SAUMYA SHARMA
653	254369	SAVITA PATIL
654	254706	SHAILENDRA THAKUR
655	254815	SHALINI BEN
656	255031	SHASHANK SHENDE
657	255073	SHASHI MOHAN SEN
658	255238	SHIKHA YADAV
659	255364	SHILPA MALEWAR
660	255502	SHIV PAL SINGH BANSI
661	255595	SHIVANI MOURYA
662	255645	SHIVANSHI WATHRE
663	255728	SHOBHANA THAKUR
664	255831	SHRDDHA TIWARI
665	256121	SHWETA NEMA
666	256532	SONAM BHAGAT
667	256902	SUDHIR KUMAR MISHRA
668	257072	SUMANLATA MARAVI
669	257118	SUMIT KERKETTA
670	257334	SUNIL KUMAR YADAV
671	257561	SURENDRA KUMAR SAHU
672	257577	SURENDRA SINGH GAUTAM
673	257610	SURESH PATEL
674	258520	URMILA LAL
675	258524	URMILA CHAUDHARY
676	258745	VANDANA SHARMA
677	258788	VANSHREE KURVETI
678	259016	VIBHA MARKAM
679	259338	VIKAS PANDEY
680	259372	VIKAS TIWARI
681	259555	VINAY KUMAR KOL
682	260309	YOGENDRA RAJ
683	261346	DILIP SINGH KUSHWAH
684	262223	KHAGENDRA SAGAR
685	262524	MAMTA KANESH

S.No.	Roll No.	Name
686	262705	MOHABBAT SINGH BAGHEL
687	263186	PAYAL PAL
688	263313	PRATAP SINGH AJNAR
689	263533	RAHUL SILADIA
690	263747	RAKESH KUMAR RATHORE
691	263762	RAKESH PARMAR
692	263788	RAM SINGH DAMOR
693	263954	RATAN SINGH KANESH
694	264100	RITA GANAWA
695	264260	SANGEETA KAG
696	264564	SHEKHAR DUBEY
697	264568	SHIKHA SONI
698	265146	VINAY RAWAT
699	265160	VINITA MACHAR
700	265404	ALOK KUMAR JAIN
701	265440	AMIT SHARMA
702	265477	ANIL GUPTA
703	265648	ARVIND KUMAR PRAJAPATI
704	265683	ASHISH JAIN
705	265804	BEER SINGH RAJPUT
706	267262	PRAHLAD SINGH DANGI
707	267285	PRAMOD RAI
708	268002	SANJAY KUMAR
709	268223	SHIVANI JAIN
710	268329	SONIYA JAIN
711	268808	AJAY PRAKASH LODHI
712	269260	AWANISH UPADHYAY
713	269435	DEEPA NARBARIA
714	269897	JYOTI RAJPUT
715	270135	MAHESH SINGH YADAV
716	270391	NARESH SHARMA
717	270579	PARMANAND SONI
718	271334	SAFALTA DUBEY
719	273095	GANESH PANDEY
720	274233	NILESH KUMAR SHARMA

S.No.	Roll No.	Name
721	274851	RAMAKANT KOSTI
722	275066	RITU UPADHYAY
723	275372	SHAILENDRA BIHARI SHARMA
724	275686	SUNIL KUMAR SHUKLA
725	275918	VIKAS CHAND JAIN
726	275984	VISHWADEEP SINGH THAKUR
727	276375	ARJUN KUMAR
728	276467	ASHOK KUMAR CHOUHAN
729	277613	MAHESH CHOURASIA
730	277658	MANAKMANI KUMAWAT
731	278313	PRAVEEN KUMAR MALVIYA
732	278653	RAKESH KUMRE
733	279538	SURESH PATEL
734	279539	SURESH PATEL
735	280060	AMIT RATHORE
736	280186	ANKITA BHIDODIYA
737	280362	ASHUTOSH DWIVEDI
738	281683	KAILASH SASTYA
739	281705	KALPANA BHANDARI
740	281822	KAPIL KUMAR SINGH
741	282855	NIRBHAY SINGH PATEL
742	283658	RAMKRISHNA BAMNIYA
743	284183	SANJAY JAT
744	284643	SHWETA EZRA
745	284644	SHWETA JAMRA
746	285189	UMESH SINGH ALASIYA
747	285238	VARSHA CHOUHAN
748	285531	ABHISHEK CHOUDHARY
749	285674	AMIT SINGH BHAMAROLIYA
750	285942	ASH ISH SHRIVASTAVA
751	286136	CHANDNI SONI
752	286682	KAMANI THAKUR
753	287239	NEERAJ TAKHARYA
754	287677	PRIYANKA PATEL
755	287979	RAMKUMAR KAURAV

S.No.	Roll No.	Name
756	288779	SURYAPRATAP SINGH THAKUR
757	289473	BRIJENDRA KUMAR SHUKLA
758	289553	DEEPAK KUMAR AWASTHI
759	289829	HARJEET THAKUR
760	291404	SUMIT BARIA
761	292466	JAGPAL SINGH YADAV
762	292865	NADEEMA SHIRI
763	294177	UMESH KUMAR KURMI
764	294310	YACHANA DIXIT
765	296898	KIRTI CHOUHAN
766	297583	MAYA KANASE
767	298948	RAJU PARMAR
768	301373	AAKASH MESHRAM
769	301974	ANJNA JAITWAR
770	302401	ASHOK KUMAR MAHORE
771	302640	BHAOOLAL PARDHI
772	302893	CHAITANYA BABOO DHOKE
773	303161	DEBI PRASAD CHAKRABORTY
774	303585	DIGAMBER PRASAD DASHARI
775	304476	HEMANT CHOUHAN
776	305346	KAVITA YEDE
777	306261	MAMTA PATLE
778	307181	NEETU JAISWAL MAHORE
779	307616	PANKAJ BISEN
780	308092	PRATIPAL SINGH MAHOBIYA
781	308358	PURNIMA BHAGAT
782	309276	RAVINDRA YADAV
783	309287	RAVISHANKER RANA
784	309621	ROSHNI DONGRE
785	309955	SANGEETA PANDEY
786	310398	SATENDRA KUMAR BHALAVI
787	312392	VARSHA DONGRE
788	312597	VIJAY YADAV
789	313268	ABHINAV KUMAR BARANGE
790	314965	DINESH KUMAR CHAMPEWAR

S.No.	Roll No.	Name
791	315103	DURGESH KUMAR BHUMARKAR
792	315541	HEMANT MESHRAM
793	315908	JYOTI THOKE
794	316937	MAHESH KUMAR VISHWAKARMA
795	317252	MANOJ KUMAR SONI
796	317639	NANDKISHOR KAUSHIK
797	317789	NEELESH KUMAR BHUMARKER
798	318054	NITIN KUMAR TALE
799	318055	NITIN KUMAR BIJWE
800	318444	PRAGATI VERMA
801	318965	RACHNA DHURVE
802	319295	RAJNI VERMA
803	321241	SHYAM KUMAR DHURVE
804	321837	SUSHMA SHELU
805	323070	ASHUTOSH KHARE
806	323279	CHARAN SINGH
807	323407	DHARMENDRA SINGH
808	323430	DHARMENDRA SINGH CHOUHAN
809	323634	GYANENDRA KUMAR SHARMA
810	324460	PARATH DUVEY
811	324804	RAJEEV KUMAR SAMADHIYA
812	324971	RAMESHWAR PRASAD AHIRWAR
813	325357	SATISH KUMAR JAYANT
814	325523	SHIVRANJAN SINGH
815	325941	VIVEK KUMAR SONI
816	325956	YOGENDRA SINGH BHADORIA
817	325968	JITENDRA PAHADEKAR
818	325987	AAKANKSHA KARAJGAONKAR
819	327477	AJAY WAGHMARE
820	327558	AJIT KUMAR
821	327832	AKHIL RATHORE
822	328629	AMIT KUMAR NIM
823	328696	AMIT KUMAR VYAS
824	329307	ANIL PATEL
825	329959	ANKIT BHASIN
826	330184	ANKITA ADWANI
827	330217	ANKITA KHATARKAR
828	330265	ANKITA TRIPATHI
829	330836	ANURAG JAIN

S.No.	Roll No.	Name
830	330920	ANURAG PRAKASH
831	331031	APEKSHA BILWAL
832	331819	ARVIND SINGH
833	331865	ASHA RAWAT
834	332081	ASHISH JAIN
835	332556	ASHUTOSH PANDEY
836	332711	ASTHA SHUKLA
837	332830	ATUL SINGH BHADAURIYA
838	333265	BALRAM DHAKAR
839	333754	BHAVISHYA BHASKAR
840	334208	BRAJENDRA SINGH BAGARI
841	334308	BRIJENDRA MOURYA
842	334526	CHANDNI MANDAL
843	335513	DEEPAK TRIPATHI
844	335943	DEVENDRA PATEL
845	336154	DEVESH KUMAR SOLANKI
846	336679	DILEEP KUMAR VERMA
847	337238	DREAMY AGRAWAL
848	338081	GEETA UIKEY
849	338391	GOVARDHAN PRASAD
850	338860	HARISHANKAR SINGH KANSA
851	339070	HEMANT CHOUKSEY
852	339097	HEMANT AGRAWAL
853	339325	HIMANI MANWARE
854	339328	HIMANI DUA
855	339782	ISHWAR SINGH VERMA
856	339795	JABIR KHAN
857	339838	JAGDISH CHANDRA NAGAR
858	340039	JASHNA DEHARIYA
859	340467	JITENDRA KUMAR BARODIA
860	340878	JYOTI PANDEY
861	341094	KALAVATI BYARE
862	341110	KALPANA KHATIK
863	341431	KAMLESH PATIDAR
864	341981	KEERTI ASATI
865	342062	KHITESH GUPTA
866	342366	KONIKA KOSHTI
867	342735	KULDEEP MALIK

S.No.	Roll No.	Name
868	342754	KULDEEP SINGH
869	342830	KUMAR SHANU DEORIYA
870	343359	LOKENDRA GUPTA
871	343548	MADHUBALA MARSKOLE
872	343644	MADHVI MAURYA
873	344214	MANAS SANTOSH PANDEY
874	344388	MANISH GUPTA
875	344826	MANMOHAN BAGHEL
876	344849	MANOHAR SINGH GOND
877	345024	MANOJ KUMAR PRAJAPATI
878	345052	MANOJ KUMAR TEHANGURIA
879	345530	MEENA MALAKAR
880	345628	MEERA MARAVI
881	345682	MEG HA RAJPOOT
882	345689	MEGHA SHARMA
883	345792	MIRA SINGH
884	346324	MONIKA PAHADEKAR
885	346822	MUMAL BOHAT
886	347206	NARENDRA KUMAR CHOUHAN
887	347555	NAZISH RAHMAN
888	347924	NEERAJ RAI
889	348109	NEETU SAPRE
890	348306	NEHA MEHRA
891	348317	NEHA NAGAR
892	348338	NEHA PARTE
893	348618	NIGHAT SULTANA
894	349068	NISHANT KUMAR SHRIVASTAVA
895	349208	NITESH PAWAR
896	349599	OMPRAKASH JAMOD
897	349703	PALLAVI MALPANI
898	349996	PANKAJ SURYAWANSHI
899	350730	POOJA RANA
900	350901	POONAM SAKET
901	351438	PRAGYA SHARMA
902	352419	PRAVEEN PUROHIT
903	353010	PRIYA VISHNOI
904	353546	PURUSHOTTAM NARAYAN DWI

S.No.	Roll No.	Name
905	353972	RAGHVEDNRA SINGH
906	354211	RAHUL GUPTA
907	355164	RAJESH KUMAR LOKHANDE
908	356054	RAM BHAGAT KUSHWAHA
909	356111	RAM KUMAR RAI
910	356230	RAMANUJ PRATAP SINGH D
911	356968	RATNESH BHADORIYA
912	357549	REENA YADAV
913	357707	RENU DAMOR
914	357854	RICHA SAXENA
915	358240	RITURAJ SINGH DANGI
916	358500	ROHIT SINGH KUSHWAHA
917	358701	ROSHNI PANDEY
918	359143	SACHIN SAXENA
919	359500	SAMMALSINGH MARKAM
920	360041	SANGEETA JAISWAL
921	360530	SANJUBALA NAGAR
922	360805	SAPANA KHARTE
923	360906	SARFRAJ ISMAIL
924	361111	SARWASH NAGVANSHI
925	361127	SATEESH RAI
926	361786	SEEMA MISHRA
927	361861	SETU SINGH
928	361988	SHAILENDRA SINGH
929	362079	SHAILENDRA SAKET
930	362251	SHALABH KUMAR SINHA
931	362518	SHASHAN KARMO
932	363375	SHIVENDU JOSHI
933	363696	SHRISH SINGH
934	363803	SHUBHAM GUPTA
935	363860	SHUBHANGI MAUONIA
936	364011	SHWETA SRIVASTAVA
937	365032	SUDHAKAR PRASAD TIWARI
938	365180	SUJEETSINGH BHADAURIA
939	365233	SULAB SINGH PUSHAM
940	365291	SUMAN SAURABH PANDEY
941	365312	SUMEDHA MESHRAM
942	365488	SUNAYANA MAHAJAN
943	366071	SUREKHA YADAV
944	366185	SURENDRA SINGH

S.No.	Roll No.	Name
945	366688	SWATI BAGHEL
946	366889	TS RAGHAVENDRA
947	367061	TARUN RAHANGDALE
948	367227	TRAPTI PATIL
949	367657	USHA RANIDHURVE
950	368544	VIJAYSHANKAR GUPTA
951	368798	VIKAS NAMDEO
952	369346	VINIT TRIPATHI
953	370709	YOGITA SONI
954	370838	ABHILASH KUMAR BHALAVI
955	371240	APOORV BHALAVI
956	371316	ASHA MARAVI
957	371388	ASTHA BHALAVI
958	372001	DURGA PATLE
959	373241	NAMITA BAGHEL
960	373703	PRABHAT KUMAR PATTA
961	373706	PRABHAVATI TEKAM
962	374497	RISHABH KUMAR JHARIYA
963	374702	SANDEEP SHRIVAS
964	374754	SANJANA MARKAM
965	375198	SHIV PRASAD DHURWEY
966	375273	SHWETA BAGHEL
967	375291	SHYAM LAL SINGORE
968	377181	GARIMA PATIDAR
969	380062	SHWETA SATHE
970	380858	AMIT
971	381098	ARVIND SHARMA
972	381595	DHARAMVIR DINKAR
973	381633	DHARMVEER PALAIYA
974	381700	DIVYA BHADORIYA
975	382015	JITENDRA KUMAR PATEL
976	382151	KAUSHLENDRA MAWAI
977	382357	MAHENDRA SINGH KAURAV
978	383185	RADHAVALLABH GURJAR
979	383402	RAKESH SINGHAL

S.No.	Roll No.	Name
980	383954	SAURABH SINGH KUSHWAH
981	384384	TEERTHRAJ BHARDWAJ
982	384511	VIKAS YADAV
983	384611	VISHVENDRA SINGH
984	386311	JAGDISH PRASAD BILORE
985	386333	JANKILAL CHARPOTA
986	386670	KARUNA DANDOTIYA
987	387503	NARENDRA SINGH DAMAR
988	387738	OM PRAKASH CHORMA
989	388120	PREETI SANGHVI
990	388442	RAJESH KERAWAT
991	388846	RESHAM GAWALI
992	389164	SANTOSH VERMA
993	389852	TOLARAM MUNIYA
994	390200	VIVEK KUMAR SHARMA
995	390356	AMRITA SOLANKI
996	391112	GHANSHYAM BAIRAGI
997	392443	PRATEEK GUPTA
998	392715	RAJNESH KUMAR SOLANKI
999	393166	SANJAY CHAURASIA
1000	394020	ANJUSHRI GUPTA
1001	394069	ASHISH KUMAR YADAV
1002	394557	MANISH KUMAR JAIN
1003	394876	RAHULDUBEY
1004	395089	SANJAY KUMAR BARAIYA
1005	395357	VIBHORTARAN
1006	395487	ABHA TRIPATHI
1007	395557	ABHINAV TRIPATHI
1008	395657	ABHISHEK SINGH
1009	396007	AKHILESH DEEPANKAR
1010	397674	ASHOK KUMAR MISHRA
1011	399493	GAURAV SINGH
1012	399587	GOVIND ATHIYA
1013	399749	HARSH LAL PATEL
1014	400189	JITENDRA PRASAD

S.No.	Roll No.	Name
1015	400723	KRISHNA CHANDRA AWADHIY
1016	401472	MANOJ PANDEY
1017	401494	MANORAMA TIWARI
1018	401840	MUKESH KUMAR MISHRA
1019	402159	NEELESH PATEL
1020	402919	PIYUSH TIWARI
1021	404191	PUSHPRAJ SINGH
1022	404603	RAJENDRA PRATAP SINGH
1023	405032	RAM ABHILASH KOL
1024	405102	RAM KUMAR KOL
1025	405645	RAVI PRAKASH KOL
1026	405651	RAVI PRAKASH TIWARI
1027	406701	SANTOSH KUMAR PATEL
1028	407469	SHASHIBHUSHAN TIWARI
1029	407489	SHASHWAT CHANDEL
1030	407511	SHEETAL MISHRA
1031	407934	SHUBHRA MISHRA
1032	408379	SUMAN DWIVEDI
1033	409215	VANCHNA SINGH PARIHAR
1034	409454	VIJAY KUMAR SINGH
1035	409530	VIKAS KUMAR ANAND
1036	409538	VIKAS KUMAR SONI
1037	411515	JEEVAN SINGH RAJAK
1038	411958	MAN SINGH LODHI
1039	412189	MOTI LAL AHIRWAR
1040	412267	NARENDRA KUMAR SHRIVASTAVA
1041	412934	PUSHPAK KUMAR DWIVEDI
1042	414111	SMT. REETA DAHERIYA
1043	414656	VIRAT AWASTHI
1044	414777	ABHAGUR UDWAN
1045	414847	ABHISHEK SINGH BAGHEL
1046	415509	ASHISH KUMAR PANDEY
1047	415892	CHANDRA SHEKHAR MISHRA
1048	416633	JAI SINGH SHIKARWAR
1049	416992	KIRTI PRABHA CHANDEL
1050	417111	LALITESH SINGH NAYAK
1051	418199	PRADEEP KUMAR MONGRE
1052	418229	PRAKASH SINGH BAGHEL

S.No.	Roll No.	Name
1053	419876	SAVITA RAWAT
1054	420227	SHRIKANT TRIPATHI
1055	420575	SURENDRA SINGH UIKE
1056	420874	VATSALA SHRIVASTAVA
1057	421331	ANIL KUMAR SONI
1058	421801	HARSH VIKRAM SINGH
1059	421984	KAMAL SINGH GURJAR
1060	422739	RAM LAKHAN SHARMA
1061	423149	SULTAN SINGH MAIDA
1062	423316	VISHNU PRASAD YADAV
1063	423782	ARVIND KUMAR SHARMA
1064	423789	ARVIND SINGH DIWAKAR
1065	424208	DEEPAK YADAV
1066	424396	DIVYA SHARMA
1067	424547	GYANENDRA VAISHY
1068	425015	KRISHNPAL SINGH DHAKAD
1069	425555	NEELAM MOURYA
1070	425687	NIKHLESH SHARMA
1071	426737	SANJAY SINGH VERMA
1072	426754	SANJEEVA KHAMARIYA
1073	427058	SHYAM YADAV
1074	427112	SONU GUPTA
1075	427167	SUMIT AGARWAL
1076	427188	SUNIL VERMA
1077	427326	TRILOCHAN GAUR
1078	427362	UPENDRA KUMAR JHA
1079	427430	VEERENDRA SINGH DHAKAD
1080	427496	VINAY KUMAR BHATT
1081	427883	DINESH KUMAR JATAV
1082	429946	AMIT VERMA
1083	430565	ANUPAM KUMAR CHAUBEY
1084	430750	ARCHNA TRIPATHI
1085	431757	BHASKAR PANDEY
1086	431939	BRIJENDRA NATH SHARMA
1087	432447	DEVENDRA KUMAR DWIVEDI
1088	434892	MANISH KUMAR TRIPATHI
1089	436092	NITIN CHOURASIA
1090	436890	PRAMOD KUMAR PATEL
1091	437168	PREETI BALA JAISWAL

S.No.	Roll No.	Name
1092	437331	PRIYANKA .
1093	437463	PUNIT SHARMA
1094	438602	RAMANAND MISHRA
1095	439293	RISHI NARAYAN SINGH
1096	441506	SRISTI NA
1097	442327	UMESH KUMAR PANDEY
1098	442781	VIKAS SINGH BAGHEL
1099	442844	VIKRAM SINGH
1100	442938	VINAY PRAJAPATI
1101	443694	ABHISHEK TIWARI
1102	443777	ABHISHEK SINGH THAKUR
1103	444376	ANIL KUMAR PANTHI
1104	444807	ANURAG TIWARI
1105	444814	ANURODH SEN
1106	445232	ASHUTOSH TIWARI
1107	445837	BRIJESH SINGH DHURWEY
1108	445892	CHANDRASHEKHAR BHAGAT
1109	446269	DEEPSHIKHA YADAV
1110	446340	DEVENDRA KUMAR CHANDRAKAR
1111	446593	DINESH SINGH THAKUR
1112	446643	DR. RAKESH KUMAR AHIRWAR
1113	447695	JYOTI SAHU
1114	447964	KARUNESH KUMAR TIWARI
1115	449212	MONIKA SINGH
1116	449644	NEELIMA DHAKAD
1117	451026	PREETI PANTHI
1118	451234	PRIYANKA RAI
1119	451689	RAJEEV GOYAL
1120	452112	RAKSHA MARAVI
1121	452945	ROHIT CHOURASIA
1122	453438	SANGEETA KHARE
1123	454555	SHRIRAM AHIRWAR
1124	456080	VIKRAM CHHIRAULYA
1125	456292	VISHAL SINGH
1126	456332	VIVEK KUMAR GHARU

S.No.	Roll No.	Name
1127	456336	VIVEK KUMAR PANDEY
1128	456388	YASMIN KHAN
1129	456694	ALOK KUMAR SHARNAGAT
1130	456754	AMRITA DIWAKAR
1131	457018	ARCHANA MARSKOLE
1132	457073	ARUN KUMAR MASRAM
1133	457159	ASHISH KUMAR SHRIVASTAVA
1134	457290	BARKHA SHARMA
1135	457735	DEVSHREE UIKEY
1136	458220	HEMANT KUMAR MARAVI
1137	458520	JYOTI RANI BRAMHE
1138	459487	NAMITA DHAMGAYE
1139	459606	NEELAM CHOUHAN
1140	460118	PRADEEP KUMAR MARAVI
1141	460572	RAJESH SIRSAM
1142	460829	RAMAKANT CHOUKSEY
1143	462131	SHRIKANT PATTER
1144	462585	SWATI RAMTEKE
1145	463627	ATUL KUMAR TRIPATHI
1146	465640	SHILPA SWARNKAR
1147	465735	SIDDHARATH VIKRAM SINGH
1148	466123	VIVEK KUMAR DUBEY
1149	467919	MITALI SARIYAM
1150	467999	MUKESH SAWLE
1151	468791	RAMNIBAS PANWAR
1152	468919	RITESH PATEL
1153	469377	SONALI NAREDA
1154	469935	AKHILESH GOUR
1155	470090	ARCHANA GUPTA
1156	471133	NEHA YADAV
1157	471533	RAJNI YADAV
1158	472062	SHYAM BABU
1159	472526	ABHISHEK SINGH
1160	475711	NAVEEN BAWARIYA
1161	475722	NAVMIDAS CHOUKIKAR

S.No.	Roll No.	Name
1162	475932	NIMESH PANDEY
1163	475952	NIRUPMASHAH
1164	476048	OMNARAYAN SINGH BADKUL
1165	476427	PRATIBHA YADAV
1166	476456	PRAVEEN SONIYA
1167	476693	RADHESHYAM VERMA
1168	478532	SUDAMA PRASAD YADAV
1169	479497	AMARNATH AHIRWAR
1170	479959	KAMLESH KUMAR KORI
1171	480405	RAJESH KUMAR DHAKAD
1172	480473	RAMKISHOR JHARBADE
1173	483010	ANURAG SINGH
1174	483267	DEEPAK MARAVI
1175	484273	PRIYANKA KARCHAM
1176	486012	BRIJENDRA SINGH
1177	486015	BRIJENDRA SINGH RATHOUR
1178	486143	DEEPAK TIWARI
1179	486258	DHARAMRAJ BAGHEL
1180	486339	DIVYA AGRAWAL
1181	487906	PRASHANT SINGH BHADORIA
1182	488255	RAJKUMAR NAGORIYA
1183	488590	REENA SINGH RATHOUR
1184	489222	SHWETA AGRAWAL
1185	489362	SUMAN BAGHEL
1186	490110	ARUN KUMAR RAJPUT
1187	490562	GANPAT SINGH DAWAR
1188	490903	KAMAL KUMAR PATHAK
1189	492266	SARVENDRA KUMAR PANDEY
1190	492270	SAURABH TOMAR
1191	494019	NAGESHWAR PRASAD PANIK

महत्वपूर्ण टीप:—

1. सूची में दर्शाये गये परीक्षा परिणाम पूर्णत: प्रावधिक है, यदि प्रत्याशी राज्य सेवा मुख्य परीक्षा-2012 के लिये अधिसूचित नियमों एवं शर्तों को पूर्ण नहीं करते हैं तो उनकी अर्हता समाप्त कर दी जायेगी.
2. राज्य सेवा परीक्षा-2012 के आवेदकों द्वारा आवेदन-पत्र में यदि त्रुटि पूर्ण, अपूर्ण, असत्य, भ्रामक जानकारी देने अथवा आयोग की विज्ञप्ति द्वारा चाही गई वांछित औपचारिकताएं पूर्ण न करने के परिणाम स्वरूप चयन के किसी भी स्तर पर आवेदक को अनर्ह किया जावेगा.
3. प्रावधिक अर्ह प्रत्याशियों की सूची आयोग कार्यालय के सूचना फलक पर देखने के लिए उपलब्ध है. यह स्पष्ट किया जाता है कि मुद्रण की त्रुटियों के लिए आयोग जिम्मेदार नहीं होगा एवं आयोग कार्यालय के सूचना फलक पर चस्पा की गई प्रत्याशियों की सूची ही प्रामाणिक मानी जायेगी.

4. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम प्रकाशित होने के बाद भी कोई कम्प्यूटर त्रुटियां या लिपिकीय त्रुटि ध्यान में आती है तो आयोग को परीक्षा परिणाम सुधारने का अधिकार सुरक्षित है.

5. राज्य सेवा मुख्य परीक्षा का परीक्षा परिणाम आवेदक आयोग की वेबसाईट www.mppsc.com & www.mppsc.nic.in पर देख सकेंगे एवं इसका प्रकाशन रोजगार और निर्माण के आगामी अंक में प्रकाशित किया जायेगा.

राज्य सेवा परीक्षा-2012 के विज्ञापन क्रमांक-03/परीक्षा/2012/01 अक्टूबर, 2012 के परिशिष्ट ''ख'' मुख्य कण्डिका-2 अन्य निर्देश/जानकारी के बिन्दु क्रमांक-08 पहचान चिन्ह एवं उत्तरपुस्तिका के महत्वपूर्ण निर्देश पहचान चिन्ह के अन्तर्गत 248 पहचान चिन्ह के प्रकरण के कारण आयोग द्वारा इनकी परीक्षा निरस्त की गई इनमें से 42 आवेदकों को अनर्ह किया गया है. अर्नह अभ्यर्थियों के रोल नम्बर एवं नाम निम्नानुसार हैं:-

S.No.	Roll No.	Name
1	114186	KAILASH JAMOD
2	114403	KAMAL KISHORE
3	117249	MAHENDRA SINGH VAIDH
4	118170	MANISH VYAS
5	126928	RADHAKISHAN
6	132976	SANGHMITRA MANVETKAR
7	136965	SONAM BATHRE
8	142387	YESHONIL
9	144230	BHANU PRATAP SINGH RANA
10	154964	RAJESH CHANDRA MISHRA
11	168631	RANJANA PATIDAR
12	173306	ANAND SHRIVATAVA
13	176043	ASHUTOSH SHRIVASTAVA
14	180170	DIPENDRA KUMAR TRIPATHI
15	192560	PRAVAL PRATAP SINGH TOMAR
16	196860	RAVINDRA KUMAR SINGH
17	202820	SUDHAKAR
18	206517	VIRENDRA KAUSHAL
19	210500	PUSHPENDRA SINGH RAWAT
20	210934	RANJANA SONI
21	212018	UDAY SINGH DHAKAD
22	235323	ANJANA NAGAR
23	239936	EKTA SONKAR
24	245237	NANDINI SARAF
25	251953	RICHA JAIN
26	252583	RUCHI YADAV
27	260088	VIVEK KUMAR PARASTE
28	262065	KAMAL SINGH NINGWAL
29	272378	ANITA VISHWAKARMA

S.No.	Roll No.	Name
30	327044	ADITYA DUBEY
31	332245	ASHISH PAL
32	341261	KAMAL SINGH MANDELIYA
33	346810	MUKUL KUMAR GUPTA
34	358840	RUCHI BAVEJA
35	364861	SHRI NIDHI DEVESH TRIPATHI
36	382990	PRADEEP SINGH
37	404520	RAJEEV KUMAR PANDEY
38	404978	RAKESH KUMAR SHUKLA
39	421957	KAILASH CHANDRA CHANDEL
40	423399	ADITI GOYAL
41	424747	JITENDRA BANSAL
42	442339	UMESH PRAJAPATI

श्रीकृष्ण शर्मा,
परीक्षा नियंत्रक.

(356-A)

विविध

न्यायालयों की सूचनाएं

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं लोक न्यास अधिकारी, राजस्व क्षेत्र बदनावर, जिला धार

प्र. क्र.01/बी-113/2013-14. बदनावर, दिनांक 08 मई, 2014

प्रारूप क्रमांक-4

नियम-5 (1)

क्र.232/री-1/2014.—एतद्द्वारा सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि आवेदकगण अध्यक्ष श्री गिरधारीलाल पिता श्री लालाजी मुनीम (पाटीदार), निवासी—ग्राम बिडवाल अन्य-33, द्वारा पाटीदार पारमार्थिक एवं शैक्षणिक न्यास, बदनावर, जिला धार द्वारा एक आवेदन मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 (2) के तहत् लोक न्यास का गठन किये जाने हेतु निम्नानुसार पदाधिकारियों द्वारा आवेदन-पत्र प्रस्तुत किया गया :—

1.	श्री गिरधारीलाल पिता श्री लालाजी मुनीम (पाटीदार)	अध्यक्ष
2.	श्री तेजकरण पिता श्री गिरधारीलालजी चावड़ा	उपाध्यक्ष
3.	श्री दिनेशकुमार पिता गिरधारीलाल पटेल	कोषाध्यक्ष
4.	श्री ओमप्रकाश पिता श्री लक्ष्मीनारायणजी चावड़ा	सचिव
5.	श्री गणपतलाल पिता श्री गिरधारीजी पाटीदार	सहसचिव
6.	श्री पूनमचंद पिता मांगीलालजी पालोता संगठन	सचिव
7.	श्री बद्रीलाल पिता हिरालालजी पाटीदार कोद	सदस्य
8.	श्री पूनमचंद पिता श्री शोभाराम छपनिया	सदस्य
9.	श्री रामरतन पिता श्री अंबारामजी पाटीदार	सदस्य

10.	श्री नाथूलाल पिता बावरजी धोल	सदस्य
11.	श्री भरतलाल पिता श्री दयारामजी पटवारी	सदस्य
12.	श्री कृष्णकांत पिता श्री बाबूलालजी पाटीदार	सदस्य
13.	श्री रतनलाल पिता श्री नारायणजी चौधरी	सदस्य
14.	श्री बालाराम पिता रामजी पाटीदार	सदस्य
15.	श्री बाबूलाल पिता भागीरथ पाटीदार	सदस्य
16.	श्री रामेश्वर पिता कानाजी मुकाती	सदस्य
17.	श्री खेमराज पिता पन्नालाल मुनीम	सदस्य
18.	श्री रामचन्द्र पिता धुलाजी नेताजी	सदस्य
19.	श्री पूनमचंद पिता कानाजी पाटीदार	सदस्य
20.	श्री नारायण पिता गिरधारीलाल पटेल	सदस्य
21.	श्री बाबूलाल पिता शंकरलाल बावडी वाले	सदस्य
22.	श्री मोहनलाल पिता ओंकारलाल डेडी	सदस्य
23.	श्री बद्रीलाल पिता शंभूलाल जी पाटीदार	सदस्य
24.	श्री महेश भरतलाल मुकाती	सचिव
25.	श्री मोतीराम पिता रणछोड़ पाटीदार	सदस्य
26.	श्री रामेश्वर पिता मोहनलाल पाटीदार	सचिव
27.	श्री जगदीश पिता खेमराज पाटीदार	सदस्य
28.	श्री अंबाराम पिता किशनाजी पाटीदार	सदस्य
29.	श्री वरदीचंद पिता शोभाराम छपनिया	सदस्य
30.	श्री शंभूलाल पिता अंबाराम पाटीदार	सदस्य
31.	श्री शिवनारायण पिता नंदराम पाटीदार	सदस्य
32.	श्री शांतिलाल पिता खेमराज पाटीदार	सदस्य
33.	श्री लक्ष्मीनारायण पिता मांगीलाल पाटीदार	सदस्य
34.	श्री राजेश पिता बालचंद होती	सदस्य

उपरोक्त ट्रस्टी सदस्यों द्वारा पाटीदार पारमार्थिक एवं शैक्षणिक न्यास, बदनावर जिला-धार आदि कार्य का संचालन किये जाने हेतु लोक न्यास का गठन प्रस्तावित किया गया है.

उक्त कार्यवाही के सम्बन्ध में किसी को किसी प्रकार की कोई आपत्ति हो तो न्यायालय में नियत पेशी दिनांक 27 मई, 2014 को प्रातः 11.00 बजे से सांय 5.00 बजे तक उपस्थित होकर अधोहस्ताक्षर के समक्ष अपनी आपत्ति स्वयं या मार्फत अभिभाषक के प्रस्तुत कर सकता है. बाद मियाद प्राप्त आपत्ति पर न्यायालय द्वारा किसी प्रकार का कोई विचार नहीं किया जावेगा.

उक्त विज्ञप्ति आज दिनांक 05 मई, 2014 को न्यायालयीन हस्ताक्षर मुद्रा से जारी की गई.

आर. एस. बालोदिया,
अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व).

(358)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार, पब्लिक ट्रस्ट, गौहरगंज, जिला रायसेन

गौहरगंज, दिनांक 02 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1951 की धारा-5 (1) पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम, 1952 के नियम-5 (1) के अन्तर्गत]

समक्ष:-रजिस्ट्रार पब्लिक ट्रस्ट गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.

जैसाकि आवेदक श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, जाखलापुल सिमराई, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन द्वारा मध्यप्रदेश पब्लिक ट्रस्ट अधिनियम की धारा-4 के अंतर्गत एक आवेदन-पत्र सूची में दशाई गई सम्पत्ति के अनुसार पब्लिक ट्रस्ट के रूप में पंजीयन हेतु प्रस्तुत किया है.

एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त आवेदन मेरे न्यायालय में मेरे द्वारा दिनांक 07 मई, 2014 को विचार में लिया जावेगा. यदि कोई व्यक्ति संस्था जो ट्रस्ट में या ट्रस्ट की सम्पत्ति में हित रखता हो और कोई आपत्ति या सुझाव देना चाहता हो तो लिखित में दो प्रतियों में सूचना के प्रकाशन के एक माह के भीतर प्रस्तुत करें अथवा उक्त दिनांक को स्वयं या अपने अभिभाषक के माध्यम से मेरे समक्ष उपस्थित होकर लिखित आपत्तियां प्रस्तुत कर सकता है. उपर्युक्त अवधि समाप्ति के पश्चात् प्राप्त आपत्ति पर कोई विचार नहीं किया जावेगा.

अनुसूची

(पब्लिक ट्रस्ट का नाम एवं पता तथा चल-अचल सम्पत्ति का वर्णन)

ट्रस्ट का नाम	:	श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, जाखलापुल, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.
कार्यालय का पता	:	श्री संकट मोचन हनुमान मंदिर, जाखलापुल, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, मध्यप्रदेश.
अचल सम्पत्ति का विवरण	:	निरंक.
चल सम्पत्ति	:	यू. को. बैंक ऑफ इण्डिया में खाता क्रमांक 02590110063811 में 5000.00 रुपये (पाँच हजार रुपये मात्र) जमा.

वृन्दावनसिंह,
अनुविभागीय अधिकारी एवं रजिस्ट्रार.

(359)

न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी एवं पंजीयक लोक न्यास अनुभाग, सीहोर

प्र. क्र. 02/बी-113 (1)/12-13.

[मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-5 (2) और मध्यप्रदेश लोक न्यास अधिनियम, 1962 के नियम 5 (1) द्वारा]

1. मांगीलाल आ. बिहारीलाल, निवासी कादमपुर
2. मांगीलाल आ. चन्द्रभावन, निवासी मण्डी सीहोर
3. बाबूलाल आ. हरीप्रसाद, निवासी खजूरियाकलां
4. दामोदर आ. नाथूलाल, निवासी कालापीपल, जिला शाजापुर
5. चतुरनारायण विश्वकर्मा आ. भवानीशंकर, निवासी झरखेड़ा
6. लक्ष्मीनारायण आ. बापूलाल, निवासी सुदामा नगर, सीहोर
7. शिवनारायण आ. मोतीलाल, निवासी इंग्लिशपुरा, सीहोर
8. देवीसिंह आ. रूपलाल, निवासी जाबड़िया धरवास, जिला शाजापुर
9. अनोखीलाल आ. श्रीकिशन, निवासी अमलाहा
10. हजारीलाल आ. कुंजीलाल, निवासी आमलपुरा
11. रमेशचंद्र आ. जगन्नाथ, निवासी आलमपुरा बरखेडी, सीहोर

12. रामचन्दर आ. मदनलाल, निवासी आष्टा
13. बाबूलाल मिस्त्री आ. स्व. कालूराम मिस्त्री इंग्लिशपुरा, सीहोर
14. मनोहर आ. सीताराम जी विश्वकर्मा, निवासी आराकश मोहल्ला गंज, सीहोर
15. नरेन्द्र आ. भैयालाल विश्वकर्मा, निवासी पुराना बस स्टेण्ड, सीहोर

.....आवेदकगण

विरुद्ध

1. मध्यप्रदेश शासन
2. सर्व-साधारण

.....अनावेदकगण

उद्घोषणा-पत्र

चूंकि आवेदकगण द्वारा लोक न्यास अधिनियम, 1951 की धारा-4 (2) के अंतर्गत श्री विश्वकर्मा मन्दिर ट्रस्ट पुराना बस स्टेण्ड सीहोर, तहसील व जिला सीहोर के न्यासीगण द्वारा न्यास के पंजीयन हेतु निवेदन किया गया है.

अत: सर्व-साधारण को सूचित किया जाता है कि कोई व्यक्ति उक्त न्यास एवं उसकी सम्पत्ति जिसका विवरण नीचे परिशिष्ट में दिया गया है, के सम्बन्ध में आपत्ति अथवा दावा पेश करना चाहे तो वह इस उद्घोषणा-पत्र के मध्यप्रदेश राजपत्र में प्रकाशन की दिनांक से एक माह अर्थात 30 दिवस के अन्दर इस न्यायालय में न्यायालयीन दिवस एवं समय में स्वयं या अभिभाषक, अधिकृत मुख्त्यार के माध्यम से अपनी आपत्ति प्रस्तुत कर सकते हैं. निश्चित अवधि उपरांत प्राप्त होने वाली आपत्तियों/दावों पर कोई विचार नहीं किया जा सकेगा.

''परिशिष्ट''

चल सम्पत्ति	:	निरंक है.
अचल सम्पत्ति	:	एक किता मकान वशक्ल खण्डहर एक मंजिल देशी कबेलू पोश हाउस टैक्स मकान नं.1012 स्थित पुराना बस स्टेण्ड सीहोर व वार्ड नं. 8 नगर पालिका परिषद् सीहोर भू-खण्ड की परिसीमाएं पूर्व से पश्चिम-30 फीट अर्थात 9.14 मीटर, उत्तर से दक्षिण-20 फीट अर्थात 6.10 मीटर. न्यास का संचालन मन्दिर में निर्मित दुकानों की आय, ट्रस्टी सदस्यों से आर्थिक सहायता तथा दानदाताओं से प्राप्त होने वाली राशि से किया जावेगा.

आज दिनांक 10 मई, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

हृदयेश कुमार श्रीवास्तव,
पंजीयक.

(360)

अन्य सूचनाएं

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड

सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., सिमार, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 84, दिनांक 08 अक्टूबर, 1953 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./415, दिनांक 12 फरवरी, 1990 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 23 अप्रैल, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(361)

हरिजन सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., आरौली, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 124, दिनांक 20 जुलाई, 1974 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1229, दिनांक 20 जून, 1991 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 23 अप्रैल, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(361-A)

सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., सायना, तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 566, दिनांक 12 दिसम्बर, 1955 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./2848, दिनांक 07 नवम्बर, 1989 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 23 अप्रैल, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(361-B)

सर्वहारा सामूहिक कृषि सहकारी संस्था मर्या., ददरौआ तहसील मेहगाँव, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 188, दिनांक 24 जनवरी, 1966 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./1390, दिनांक 25 जून, 1991 के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 23 अप्रैल, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 23 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(361-C)

संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., पीलाडांडा, तहसील भिण्ड, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 191, दिनांक 09 फरवरी, 1966 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./....., दिनांक ..... के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1)

के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(361-D)

संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., सफेदपुरा तहसील भिण्ड, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 204, दिनांक 08 फरवरी, 1967 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./....., दिनांक ..... के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(361-E)

संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., जवाहर का पुरा, तहसील भिण्ड, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 177, दिनांक 20 अगस्त, 1964 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./....., दिनांक ..... के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

(361-F)

विश्वकर्मा संयुक्त कृषि सहकारी संस्था मर्या., फूप, तहसील भिण्ड, जिला भिण्ड, पंजीयन क्र. 185, दिनांक 29 मार्च, 1965 को कार्यालयीन आदेश क्र./परि./....., दिनांक ..... के मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अन्तर्गत परिसमापन में लाया गया था.

परिसमापक से प्राप्त अंतिम प्रतिवेदन से प्रतीत होता है कि उक्त संस्था का लेन-देन शेष नहीं है.

अत: मैं, आर. एस. गौर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भिण्ड मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल की विज्ञप्ति क्र./एफ-5-1-99-पंद्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का पंजीयन निरस्त करता हूँ. उक्त संस्था का अस्तित्व आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 से निर्गमित निकाय के रूप में नहीं रहेगा.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया है.

आर. एस. गौर,
उप पंजीयक.

(361-G)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री सीताराम मांगीलाल,

अध्यक्ष,

फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, बडगांव,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

पिंक संरक्षण सहकारी संस्था मर्यादित, बडगांव, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 495, दिनांक 09 नवम्बर, 1973 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(362)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री प्रेमचंद काशीराम,

अध्यक्ष,

माँ रेवा उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्यादित, डोगरगाँव,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

माँ रेवा उद्वहन सिंचाई सहकारी संस्था मर्यादित, डोगरगाँव, तहसील खरगोन, जिला खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1046, दिनांक 24 मई, 1996 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.

5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(362-A)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री दशरथ भूरेसिंह,

अध्यक्ष,

माँ अम्बे फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, बोरगाँव,

तहसील-गोगांवा, जिला-खरगोन.

माँ अम्बे फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्यादित, बोरगाँव, तहसील-गोगांवा, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1508, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.

5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(362-B)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री दशरथ सिंह,

अध्यक्ष,

अंबिका फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., बैजापुर,

तहसील-गोगांवा, जिला-खरगोन.

अंबिका फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., बैजापुर, तहसील-गोगांवा, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1510, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(362-C)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री हिरालाल पाटीदार,

अध्यक्ष,

किसान फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., गोगांवा,

तहसील-गोगांवा, जिला-खरगोन.

किसान फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., गोगांवा, तहसील-गोगांवा, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1511, दिनांक 20 अप्रैल, 2007 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.

5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(362-D)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री कृष्णलाल पाटीदार,

अध्यक्ष,

फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., घोट्या,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., घोट्या, तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1543, दिनांक 14 फरवरी, 2008 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.

2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.

5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(362-E)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री महेन्द्र पाटीदार,

अध्यक्ष,

फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., दसंगा,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., दसंगा, तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1544, दिनांक 14 फरवरी, 2008 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.
3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.
4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.
5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.
6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अतः मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

(362-F)

''कारण बताओ सूचना-पत्र''

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत]

प्रति,

श्री बलीराम पाटीदार,

अध्यक्ष,

फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., मोठापुरा,

तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन.

फसल सुरक्षा सहकारी संस्था मर्या., मोठापुरा, तहसील-खरगोन, जिला-खरगोन जिसका पंजीयन क्रमांक 1546, दिनांक 14 फरवरी, 2008 है जिसे आगे केवल संस्था कहा गया है, संस्था को निम्न कारणों से परिसमापन में लाया जाना प्रस्तावित है.—

1. संस्था का गठन जिन उद्देश्यों की पूर्ति हेतु किया गया था उन उद्देश्यों की प्राप्ति में संस्था विफल रही है.
2. संस्था द्वारा अधिनियम व उपनियम की शर्तों का अनुपालन बंद कर दिया है एवं संस्था निष्क्रिय है.

3. संस्था का संचालक मण्डल संस्था के कार्यों में रुचि नहीं ले रहा है.

4. संस्था को निरंतर तीन वर्षों से अंकेक्षण में 'डी' वर्ग प्राप्त हुआ है.

5. संस्था द्वारा सहायक आयुक्त सहकारिता, खरगोन को अंकेक्षण टीपों का गत 03 वर्षों से पालन प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया जा रहा है.

6. संस्था द्वारा साधारण सभा की बैठकें नियमित नहीं की जा रही हैं.

अत: मैं, बी. एस. अलावा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला खरगोन, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) ए/क,बी/ख, सी/ग की शक्तियां जो मुझे मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ/5-1-99/पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के तहत प्रदत्त है का प्रयोग करते हुए यह सूचना-पत्र निर्गत करता हूँ कि, क्यों न संस्था को परिसमापन में लाया जाए.

उक्त सूचना-पत्र का प्रत्युत्तर पत्र जारी होने के दिनांक के 21 दिवस में इस कार्यालय को प्रेषित करें, निर्धारित समयावधि में प्रत्युत्तर प्राप्त न होने की दशा में मेरे द्वारा यह माना जाकर कि आपको उक्त सम्बन्ध में कुछ नहीं कहना है तथा कथित आरोप आपको स्वीकार हैं, प्रस्तावित कार्यवाही कर दी जावेगी.

बी. एस. अलावा,
उप-पंजीयक.

(362-G)

कार्यालय सहायक आयुक्त, सहकारिता, जिला कटनी

कटनी, दिनांक 29 मार्च, 2014

क्र./सपंक/परि./14/476.—आदिवासी मछुआ सहकारी समिति, पौनिया, पं.क्र. 1733, दिनांक 18 जनवरी, 1999 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/1523, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये संस्था आदिवासी मछुआ सहकारी समिति, पौनिया, पं. क्र. 1733, दिनांक 18 नवम्बर, 1999 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(363)

कटनी, दिनांक 29 मार्च, 2014

क्र./सपंक/परि./14/477.—आदिवासी मछुआ सहकारी समिति, उमरियापान, पं.क्र. 460, दिनांक 17 जुलाई, 1972 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/1524, दिनांक 17 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये संस्था आदिवासी मछुआ सहकारी समिति, उमरियापान, पं.क्र. 460, दिनांक 17 जुलाई, 1972 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(363-A)

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2014

क्र./सपंक/परि./14/478.—तरूण संस्कार साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादक सहकारी समिति, पड़वार, पं.क्र. 16, दिनांक 12 जुलाई, 2001 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/1521, दिनांक 16 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये संस्था तरूण संस्कार साग-सब्जी, फल-फूल उत्पादक सहकारी समिति, पड़वार, पं.क्र. 16, दिनांक 12 जुलाई, 2001 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(363-B)

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2014

क्र./सपंक/परि./14/479.—अब्दुल हमीद प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., बरही, पं.क्र. 75, दिनांक 10 जुलाई, 2007 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/1561, दिनांक 30 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये संस्था अब्दुल हमीद प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., बरही, पं.क्र. 75, दिनांक 10 जुलाई, 2007 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(363-C)

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2014

क्र./सपंक/परि./14/480.—श्री जग्राति शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हीरापुर कौड़िया, पं.क्र. 32, दिनांक 03 नवम्बर, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/1546, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये संस्था श्री जग्राति शक्तिपुंज महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., हीरापुर कौड़िया, पं.क्र. 32, दिनांक 03 नवम्बर, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(363-D)

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2014

क्र./सपंक/परि./14/481.—स्वाति प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., कटनी, पं.क्र. 68, दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/1553, दिनांक 27 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये स्वाति प्रा. उप. सह. भण्डार मर्या., कटनी, पं.क्र. 68, दिनांक 18 दिसम्बर, 2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(363-E)

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2014

क्र./सपंक/परि./14/483.—जय श्री राम ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटनी, पं.क्र. 42, दिनांक 13 अप्रैल, 2006 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/1530, दिनांक 18 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये जय श्री राम ईंधन आपूर्ति सहकारी समिति मर्या., कटनी, पं.क्र. 42, दिनांक 13 अप्रैल, 2006 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(363-F)

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2014

क्र./सपंक/परि./14/484.—शिवम् प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., कटनी, पं.क्र. 100, दिनांक 31 अगस्त, 2009 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/1532, दिनांक 19 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये शिवम् प्रा. उप. सहकारी भण्डार मर्या., कटनी, पं.क्र. 100, दिनांक 31 अगस्त, 2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(363-G)

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2014

क्र./सपंक/परि./14/485.—बारडोली प्रा. सहकारी भण्डार मर्या., कटनी, पं.क्र. 99, दिनांक 13 अगस्त, 2009 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/1547, दिनांक 26 दिसम्बर, 2013 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक

की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये बारडोली प्रा. सहकारी भण्डार मर्या., कटनी, पं.क्र. 99, दिनांक 13 अगस्त, 2009 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(363-H)

कटनी, दिनांक 31 मार्च, 2014

क्र./सपंक/परि./14/489.—शमा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चाका, पं.क्र. 31, दिनांक 19 अगस्त, 2003 को कार्यालयीन आदेश क्रमांक/सपंक/परिसमापन/596, दिनांक 31 अगस्त, 2009 से परिसमापन में लाकर परिसमापक की नियुक्ति की थी.

परिसमापक द्वारा संस्था की समस्त लेनदारियों एवं देनदारियों का निराकरण कर संस्था का पंजीयन निरस्त करने हेतु अंतिम प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया है.

अत: मैं, डॉ. भरत कुमार मोदी, सहायक पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, कटनी, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्र./एफ.-5-1-99-पन्द्रह-एक-डी, भोपाल, दिनांक 26 जुलाई, 1989 मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम 1960 की धारा-18 (1) के द्वारा पंजीयक की शक्तियां जो मुझे वेष्ठित है, का प्रयोग करते हुये शमा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्या., चाका, पं.क्र. 31, दिनांक 19 अगस्त, 2003 का पंजीयन निरस्त करता हूँ एवं निगमित निकाय समाप्त किया जाता है.

यह आदेश आज दिनांक 31 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

भरत कुमार मोदी,
सहायक पंजीयक.

(363-I)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1251, दिनांक 23 मई, 2013 के द्वारा ज्योति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी./ 627, दिनांक 23 फरवरी, 1995 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेश बरकड़े, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(364)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 3517, दिनांक 02 सितम्बर, 2001 के द्वारा डी. पी. आई. कर्म. प्राथ. सहकारी उपभोक्ता भण्डार संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./ 498, दिनांक 02 दिसम्बर, 1970 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कु. मनीषा चौरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(364-A)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1314, दिनांक 31 मार्च, 2001 के द्वारा न्यू भोपाल मिल्स कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी./ 83, दिनांक 18 सितम्बर, 1978 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. के. श्रीवास्तव, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(364-B)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1388, दिनांक 01 जून, 2013 के द्वारा अंजली महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./912, दिनांक 19 अगस्त, 2002 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमति संगीता मीना, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(364-C)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4864, दिनांक 28 अक्टूबर, 2004 के द्वारा दशमेश गुरू गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./ 374, दिनांक 05 सितम्बर, 1983 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री राकेश निगम, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(364-D)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 2064, दिनांक 16 अगस्त, 2013 के द्वारा देवकी नंदन गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या.,भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक डी. आर. बी./ 511, दिनांक 28 अगस्त, 1988 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री अनिल अग्रवाल, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(364-E)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 1390, दिनांक 01 जून, 2013 के द्वारा उजाला ईंधन सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./ 1065, दिनांक 08 जुलाई, 2005 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्रीमति ज्योत्सना जैन, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(364-F)

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

इस कार्यालय के आदेश क्रमांक 4552, दिनांक 01 दिसम्बर, 2001 के द्वारा एस. बी. आई. कर्म प्राथ. उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., भोपाल, तहसील हुजूर, जिला भोपाल, पंजीयन क्रमांक ए. आर. बी./ 662, दिनांक 15 मार्च, 1973 है, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत कु. मनीषा चौरे, सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा समिति के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूँ कि ''संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है''

अत: मैं, आर. एस. विश्वकर्मा, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला भोपाल, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी कार्पोरेट) समाप्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

आर. एस. विश्वकर्मा,
उप-पंजीयक.

(364-G)

कार्यालय उप-रजिस्ट्रार, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर

दिनांक 30 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/196.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 448, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा श्री गणेश ईंट भट्ठा प्राथमिक औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., बेहडवा, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 971, दिनांक 01 जून, 2002 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री श्याम छत्तरी, वरि. सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(365)

दिनांक 30 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/197.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 448, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा श्री महालक्ष्मी साख सहकारी संस्था मर्या., जोबट, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 995, दिनांक 14 सितम्बर, 2001 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री श्याम छत्तरी, वरि. सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(365-A)

दिनांक 30 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/198.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 448, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा कामगार कारीगर सहकारी संस्था मर्या., कठ्ठीवाडा, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 392, दिनांक 27 जनवरी, 1966 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री सुरेन्द्रसिंह चौहान, सह. निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(365-B)

दिनांक 30 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/199.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 448, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा रेत खदान सहकारी संस्था मर्या., खुटाजा, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 925, दिनांक 23 फरवरी, 1996 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आई. डी. सर्राफ, उप-अंकेक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(365-C)

दिनांक 30 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/200.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 448, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा श्री गिट्टी निर्माण औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., छोटीबेगलगाँव, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 731, दिनांक 14 दिसम्बर, 1992 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री बी. एस. सोलंकी, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(365-D)

दिनांक 30 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/201.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 448, दिनांक 18 अक्टूबर, 2010 के द्वारा आम्बुआ मार्बल औद्योगिक सहकारी संस्था मर्या., आम्बुआ, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 348, दिनांक 28 फरवरी, 1992 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री एम. एल. सूर्यवंशी, अंकेक्षण अधिकारी को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

(365-E)

दिनांक 30 अप्रैल, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/229.—इस कार्यालय के आदेश क्र. 449, दिनांक 18 अक्टूबर, 2012 के द्वारा चारभुजा प्राथमिक उपभोक्ता भण्डार सहकारी संस्था मर्या., अलीराजपुर, जिला अलीराजपुर, जिसका पंजीयन क्रमांक 1017, दिनांक 16 मई, 2007 है, जो मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 के अन्तर्गत परिसमापन में लाया जाकर धारा-70 के अन्तर्गत श्री आर. के. वासन्दे, वरिष्ठ सहकारी निरीक्षक को संस्था का परिसमापक नियुक्त किया गया था.

परिसमापक द्वारा संस्था के परिसमापन की सम्पूर्ण कार्यवाही सम्पन्न करके पंजीयन निरस्त हेतु अंतिम प्रतिवेदन निर्धारित प्रारूप में प्रस्तुत किया गया है, जिसके साथ साधारण सभा की कार्यवाही विवरण, अंकेक्षित निरंक स्थिति विवरण-पत्रक प्रस्तुत कर संस्था के पंजीयन निरस्त करने की अनुशंसा की गई है.

परिसमापक की उक्त कार्यवाही से मैं, इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि संस्था का पंजीयन निरस्त किया जाना उचित है.

अत: मैं, अम्बरीष वैद्य, उप- पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला अलीराजपुर, मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-18 (1) एवं मध्यप्रदेश शासन, सहकारिता विभाग, भोपाल के आदेश क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के अन्तर्गत प्रदत्त रजिस्ट्रार की शक्तियों का प्रयोग करते हुए उक्त संस्था का निगम निकाय (बॉडी-कार्पोरेट) समाप्त करता हूं.

यह आदेश आज दिनांक 30 अप्रैल, 2014 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया है.

अम्बरीष वैद्य,
उप-रजिस्ट्रार.

((365-F)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/687.—बालाजी बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित,सुखतवा, पंजीयन क्रमांक 3032, दिनांक 30 जून, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बालाजी बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित,सुखतवा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. दीवान, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/688.—बीज पौध क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित,मालाखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2944, दिनांक 12 सितम्बर, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला

होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुनः सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत बीज पौध क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित,मालाखेड़ी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. दीवान, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-A)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/689.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,सुपरली, पंजीयन क्रमांक 2842, दिनांक 28 मई, 2005 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण,/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,सुपरली को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री जी. पी. दीवान, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-B)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/703.—श्री सांई बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित,रोहना, पंजीयन क्रमांक 2731, दिनांक 10 अप्रैल, 2001 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण,/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्री सांई बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित,रोहना को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. पी. पाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-C)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/705.—सांई पौध बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित, सेमरी खुर्द, पंजीयन क्रमांक 3053, दिनांक 03 सितम्बर, 2010 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सांई पौध बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित,सेमरी खुर्द को परिसमान में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. पी. पाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-D)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/707.—माँ रेवा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भमेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2967, दिनांक 17 जून, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण,/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ रेवा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, भमेड़ी को

परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. पी. पाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-E)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/708.—सुशीला देवी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2913, दिनांक 08 फरवरी, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण,/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सुशीला देवी मत्स्योद्योग सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. एस. जाट, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-F)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/709.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सांवलखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 2948, दिनांक 12 नवम्बर, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण,/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, सांवलखेड़ा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री डी. पी. पाल, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-G)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/711.—माँ रेवा कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं प्लास्टिक मुद्रणालय सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2909, दिनांक 22 फरवरी, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित

कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण,/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ रेवा कम्प्यूटर प्रशिक्षण एवं प्लास्टिक मुद्रणालय सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-H)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/712.—तवा विस्था. एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, मछुआखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 2509, दिनांक 27 अक्टूबर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तवा विस्था. एवं प्रभावित आदि. मत्स्य सहकारी समिति मर्यादित, महुआखेड़ा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-I)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/713.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,सोहजनी, पंजीयन क्रमांक 2807, दिनांक 21 अप्रैल, 2004 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,सोहजनी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री प्रकाश बत्रा, सहकारी निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-J)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/723.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,घुरैला, पंजीयन क्रमांक....., दिनांक.....को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,घुरैला को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. गुप्ता, C.E.O होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-K)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/724.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पुनौर, पंजीयन क्रमांक 2808, दिनांक 21 अप्रैल, 2004 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, पुनौर को परिसमापन में

लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. गुप्ता, C.E.O होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-L)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/725.—दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,खैरा, पंजीयन क्रमांक 2869, दिनांक 30 जुलाई, 2005 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,खैरा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. गुप्ता, C.E.O होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-M)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/726.—श्याम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित,किशनपुर, पंजीयन क्रमांक 2892, दिनांक 06 जुलाई, 2006 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्याम महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित,किशनपुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. गुप्ता, C.E.O होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-N)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/727.—माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित,अजेरा, पंजीयन क्रमांक 2887, दिनांक 05 मई, 2006 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ नर्मदा महिला बहुउद्देशीय सहकारी समिति मर्यादित,अजेरा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. के. गुप्ता, C.E.O होशंगाबाद को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-O)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/736.—नर्मदा यातायात सहकारी समिति मर्यादित,शिवपुर, पंजीयन क्रमांक 2427, दिनांक 23 नवम्बर, 1998 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुनः सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत नर्मदा यातायात सहकारी समिति मर्यादित,शिवपुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोंलकी, व. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-P)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/737.—औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, रीछी, पंजीयन क्रमांक 2910, दिनांक 26 फरवरी, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत औद्योगिक सहकारी समिति मर्यादित, रीछी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोंलकी, व. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-Q)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/738.—गुरू कृपा ईंट-भट्टा सहकारी समिति मर्यादित, शिवपुर, पंजीयन क्रमांक 2907, दिनांक 21 फरवरी, 2007 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण,/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत गुरू कृपा ईंट-भट्टा सहकारी समिति मर्यादित, शिवपुर को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोंलकी, व. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-R)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/739.—सतपुड़ा औद्योगिक एवं हस्तशिल्प सहकारी समिति मर्यादित, शोभापुर, पंजीयन क्रमांक 2990, दिनांक 05 अगस्त, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सतपुड़ा औद्योगिक एवं हस्तशिल्प सहकारी समिति मर्यादित, शोभापुर

को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री बी. एस. सोंलकी, व. सह. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-S)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/752.—कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरधा, पंजीयन क्रमांक 2809, दिनांक 21 अप्रैल, 2009 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, उमरधा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, स. निरीक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-T)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/753.—कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,खपरिया, पंजीयन क्रमांक 2976, दिनांक 22 जुलाई, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुनः सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत कामधेनु दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,खपरिया को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-U)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/755.—श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,वनखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 3012, दिनांक 30 सितम्बर, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु

कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुनः सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्रीराम बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,वनखेड़ी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एस. एस. पगारे, स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-V)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/756.—उन्नत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2070, दिनांक 09 अक्टूबर, 1974 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुनः सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत उन्नत बीज उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित, होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री किशोर पाराशर, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-W)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/757.—श्री नारायण बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित,ढावाकलां, पंजीयन क्रमांक 2956, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्री नारायण बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित,ढावाकलां को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री किशोर पाराशर, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-X)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/758.—महादेव बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित,भटटी, पंजीयन क्रमांक 2953, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत महादेव बीज क्रय-विक्रय सहकारी समिति मर्यादित,भटटी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री किशोर पाराशर, व. स. नि. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-Y)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/759.—गोकुल ग्राम विकास सहकारी समिति मर्यादित, डूमर वनखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2858, दिनांक 05 जुलाई, 2005 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत गोकुल ग्राम विकास सहकारी समिति मर्यादित, डूमर वनखेड़ी को

परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. एस. जाट, स. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(366-Z)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/760.—सांईनाथ महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित,बिछुआ, पंजीयन क्रमांक 3000, दिनांक 25 अगस्त, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत सांईनाथ महिला बहु. सहकारी समिति मर्यादित,बिछुआ को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री आर. एस. जाट, स. निरी. को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/761.—निषादराज मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2957, दिनांक 15 अप्रैल, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुनः सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत निषादराज मत्स्यद्योग सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. एन. कुशवाह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367-A)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/762.—माँ नर्मदा रेशम धागाकरण सहकारी समिति मर्यादित,मालाखेड़ी, पंजीयन क्रमांक 2697, दिनांक 10 जून, 1999 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण

बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुनः सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत माँ नर्मदा रेशम धागाकरण सहकारी समिति मर्यादित,मालाखेड़ी को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. एन. कुशवाह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367-B)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/763.—रेवा माताश्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद, पंजीयन क्रमांक 2473, दिनांक 09 अक्टूबर, 1995 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुनः सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अतः मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत रेवा माताश्रम ठेका सहकारी समिति मर्यादित,होशंगाबाद को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. एन. कुशवाह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367-C)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/764.—श्यामा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,खापरखेड़ा, पंजीयन क्रमांक 2968, दिनांक 17 जून, 2008 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.

2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.

3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.

4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.

5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.

6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.

7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.

8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.

9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत श्यामा दुग्ध उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,खापरखेड़ा को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. एन. कुशवाह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

(367-D)

होशंगाबाद, दिनांक 29 मार्च, 2014

[मध्यप्रदेश सहकारी समितियां अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अन्तर्गत]

क्र./परि./2014/765.—तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,रोहना, पंजीयन क्रमांक 2137, दिनांक 26 अगस्त,1982 को कार्यालय के पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/977, दिनांक 08 अगस्त, 2013 द्वारा सहायक आयुक्त (अंकेक्षण) सहकारिता, जिला होशंगाबाद के कार्यालयीन पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2013/242, दिनांक 05 जुलाई, 2013 के आधार पर निम्नलिखित कारणों से परिसमापन में लाये जाने हेतु कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.—

1. संस्था ने अधिनियम, नियम तथा उपविधियों का पालन करना बंद कर दिया है.
2. संस्था द्वारा वर्षवार अंकेक्षण नहीं कराया गया है.
3. संस्था द्वारा पंजीकृत उपविधि में वर्णित उद्देश्य अनुसार कार्य नहीं किया है.
4. संस्था निर्वाचन कराने में असफल रही है.
5. संस्था द्वारा वार्षिक आमसभा आयोजित नहीं की गई है.
6. संस्था द्वारा विधिवत् रिकॉर्ड संधारित नहीं किया है.
7. संस्था विगत वर्षों से अकार्यशील होकर बंद है.
8. संस्था द्वारा निर्धारित समयावधि में वित्तीय पत्रक प्रस्तुत नहीं किये हैं.
9. प्रबंधकारिणी समिति एवं संस्था के सदस्यों का कार्य संचालन एवं प्रगति में कोई रुचि नहीं है.

इस कारण बताओ सूचना-पत्र से निर्देशित किया गया था कि सूचना-पत्र प्राप्त होने के 15 दिवस के अन्दर वर्णित आरोपों के सम्बन्ध में लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत करें अन्यथा समिति को परिसमापन में लाया जावेगा.

जारी कारण बताओ सूचना-पत्र का निर्धारित समयावधि में समिति द्वारा कोई भी लिखित प्रतिउत्तर कार्यालय को प्रस्तुत नहीं किया गया.

पुन: सहायक पंजीयक, अंकेक्षण, होशंगाबाद द्वारा पत्र क्रमांक/अंकेक्षण/2014/105, दिनांक 01 मार्च, 2014 से समिति को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम एवं संस्था उपविधियों में वर्णित प्रावधानों का पालन नहीं करने के कारण परिसमापन में लाने की अनुशंसा की गई है.

उपरोक्त कारणों से मेरा यह समाधान हो गया है कि समिति अकार्यशील है एवं आगे कोई कार्य करने हेतु इच्छुक नहीं है तथा समिति को परिसमापन में लाया जाना आवश्यक है.

अत: मैं, काडमू पाटनकर, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, होशंगाबाद, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/ एफ-5-2-2010-15-1-सी, दिनांक 23 अक्टूबर, 2010 द्वारा पंजीयक की मुझे प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए उपरोक्त वर्णित कारणों के आधार पर मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (2) के अंतर्गत तिलहन उत्पादक सहकारी समिति मर्यादित,रोहना को परिसमापन में लाता हूँ एवं समिति की आस्तियों एवं देयताओं के निराकरण हेतु अधिनियम की धारा-70 (1) के अंतर्गत श्री एल. एन. कुशवाह, उप-अंकेक्षक को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 मार्च, 2014 को मेरे हस्ताक्षर तथा कार्यालयीन पदमुद्रा से जारी किया गया.

काडमू पाटनकर,
उप-पंजीयक.

(367-E)

कार्यालय उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, जिला रायसेन

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/947.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2008/906, रायसेन, दिनांक 30 अगस्त, 2008 द्वारा ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सुल्तानपुर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 871, दिनांक 02 अप्रैल, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर प्राप्त हुआ, वह संतोषजनक नहीं है व अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर संस्था आज दिनांक तक अकार्यशील है.

चूँकि संस्था की ओर से संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संस्था अकार्यशील रही तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मध्यप्रदेश की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, ईंधन आपूर्ति सहकारी संस्था मर्या., सुल्तानपुर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 871, दिनांक 02 अप्रैल, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औ. गंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368)

रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/948.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2012/1075, रायसेन, दिनांक 16 अक्टूबर, 2012 द्वारा मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., सिलवानी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 920, दिनांक 08 अप्रैल, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर प्राप्त हुआ, वह संतोषजनक नहीं है व अंकेक्षण कक्ष से प्राप्त जानकारी के आधार पर संस्था आज दिनांक तक अकार्यशील है.

चूँकि संस्था की ओर से संतोषजनक उत्तर प्रस्तुत नहीं किया एवं पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी संस्था अकार्यशील रही तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतएव मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की अधिसूचना क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 के द्वारा प्राप्त रजिस्ट्रार सहकारी समितियां मध्यप्रदेश की शक्तियों का प्रयोग करते हुए मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., सिलवानी, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 920, दिनांक 08 अप्रैल, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिलवानी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 01 जून, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-A)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1200.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/932, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा माखनी मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., माखनी, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 678, दिनांक 06 अगस्त, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये माखनी मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., माखनी, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 678, दिनांक 06 अगस्त, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-B)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1203.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/935, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा जय भारत उप. सहकारी भण्डार मर्या.,रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 610, दिनांक 19 फरवरी, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये जय भारत उप. सहकारी भण्डार मर्या.,रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 610, दिनांक 19 फरवरी, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960

की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-C)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1204.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/937, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा प्रा. स्वास्थ्य कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या.,सांची, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 10 जुलाई, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रा. स्वास्थ्य कर्म. साख सहकारी संस्था मर्या.,सांची, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 589, दिनांक 10 जुलाई, 1996 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-D)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1205.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/934, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा विस्थापित मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., महुआखेडा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 841, दिनांक 26 अगस्त, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये विस्थापित मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., महुआखेडा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 841, दिनांक 26 अगस्त, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापन नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-E)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1206.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/940, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या.,मरखेडा टप्पा, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 867, दिनांक 04 मार्च, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये हरिजन बुनकर सहकारी संस्था मर्या.,मरखेडा टप्पा, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 867, दिनांक 04 मार्च, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेगमगंजा, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-F)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1207.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/904, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा कृषि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हरदौट, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 893, दिनांक 14 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये कृषि महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., हरदौट, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 893, दिनांक 14 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-G)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1208.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/939, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा कृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 621, दिनांक 12 सितम्बर, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये कृति गृह निर्माण सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 621, दिनांक 12 सितम्बर, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-H)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1209.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/900, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भानपुरगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 905, दिनांक 20 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भानपुरगंज, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 905, दिनांक 20 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-I)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1210.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/909, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टेकापारगढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 742, दिनांक 15 जनवरी, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., टेकापारगढ़ी, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 742, दिनांक 15 जनवरी, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-J)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1211.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/861, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., आमखेडा, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 915, दिनांक 23 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., आमखेडा, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 915, दिनांक 23 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापन नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-K)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1212.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/844, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नूरनगर, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 890, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., नूरनगर, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 890, दिनांक 03 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-L)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1213.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/843, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धैलश्री, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 921, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धैलश्री, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 921, दिनांक 13 अप्रैल, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-M)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1214.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/845, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा डुंगरिया, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 936, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., सीहोरा डुंगरिया, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 936, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-N)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1215.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/846, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानीवाडा, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 708, दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कानीवाडा,तहसील उदयपुर, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 708, दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-O)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1216.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/848, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., देवरी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 23 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये मत्स्य पालन सहकारी संस्था मर्या., देवरी, तहसील उदयपुरा, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 914, दिनांक 23 मार्च, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड उदयपुरा, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-P)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1217.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/896, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेगनिया, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 632, दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेगनिया, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 632, दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-Q)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1218.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/895, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कामतौन, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 636, दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., कामतौन, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 636, दिनांक 29 दिसम्बर, 1997 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-R)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1219.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/885, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मेहरागांवकला, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 869, दिनांक 26 मार्च, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मेहरागांवकला, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 869, दिनांक 26 मार्च, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-S)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1220.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/886, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोरखपुर, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 877, दिनांक 10 जून, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., गोरखपुर, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 877, दिनांक 10 जून, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-T)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1221.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/894, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलैया कन्हवार, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 670, दिनांक 06 मार्च, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., सलैया कन्हवार, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 670, दिनांक 06 मार्च, 1999 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-U)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1222.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/893, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मगरधा, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., मगरधा, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 704, दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-V)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1223.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/892, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,उदयगिरी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 705, दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,उदयगिरी, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 705, दिनांक 19 दिसम्बर, 2000 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-W)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1224.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/897, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,चारगांव, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 463, दिनांक 23 जनवरी, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या.,चारगांव, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 463, दिनांक 23 जनवरी, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-X)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1225.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/882, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., शिवतला, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 824, दिनांक 07 अप्रैल, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., शिवतला, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 824, दिनांक 07 अप्रैल, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-Y)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1226.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/883, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अलीगंज, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 847, दिनांक 07 अक्टूबर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., अलीगंज, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 847, दिनांक 07 अक्टूबर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(368-Z)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1227.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/881, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मोकलवाडा, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 843, दिनांक 18 सितम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मोकलावाडा, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 843, दिनांक 18 सितम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1228.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/887, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भीमपुर कंजई, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 902, दिनांक 20 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., भीमपुर कंजई, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 902, दिनांक 20 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-A)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1229.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/839, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा आदिवासी पशुपालन सहकारी संस्था मर्या., उमरई बेहरा, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 794, दिनांक 01 अगस्त, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदिवासी पशुपालन सहकारी संस्था मर्या., उमरई बेहरा, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 794, दिनांक 01 अगस्त, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-B)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1230.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/879, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भौडिया, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 343, दिनांक 28 नवम्बर, 1985 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये तिलहन उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., भौडिया, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 343, दिनांक 28 नवम्बर, 1985 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-C)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1231.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/925, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडौदा साठ, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 892, दिनांक 06 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडौदा साठ, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 892, दिनांक 06 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-D)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1232.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/926, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मउपथरई, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 750, दिनांक 31 जनवरी, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मउपथरई, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 750, दिनांक 31 जनवरी, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-E)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1233.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/927, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धनियाखेडी, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 747, दिनांक 27 जनवरी, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., धनियाखेडी, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 747, दिनांक 27 जनवरी, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-F)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1234.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/928, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडौदा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 746, दिनांक 27 जनवरी, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियंम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बडौदा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 746, दिनांक 27 जनवरी, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-G)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1235.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/884, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बावई, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 849, दिनांक 09 अक्टूबर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., बावई, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 849, दिनांक 09 अक्टूबर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-H)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1236.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/943, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा दिग्विजय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 830, दिनांक 11 जून, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये दिग्विजय बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., बेगमगंज, तहसील बेगमगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 830, दिनांक 11 जून, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बेगमगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-I)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1237.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/933, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा चांदना मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., चांदना, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 572, दिनांक 24 नवम्बर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये चांदना मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., चांदना, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 572, दिनांक 24 नवम्बर, 1995 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-J)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1238.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/929, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मानपुर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 739, दिनांक 29 दिसम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., मानपुर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 739, दिनांक 29 दिसम्बर, 2001 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-K)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1239.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/930, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा आदर्श हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 09 मार्च, 1976 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदर्श हाथकरघा बुनकर सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 278, दिनांक 09 मार्च, 1976 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-L)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1240.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/931, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा आजाद मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., हक्काबाद, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 805, दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आजाद मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., हक्काबाद, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 805, दिनांक 28 अक्टूबर, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-M)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1241.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/877, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा बीज भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सुल्तानपुर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1255, दिनांक 14 मई, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये बीज भण्डार सहकारी संस्था मर्या., सुल्तानपुर, तहसील गौहरगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 1255, दिनांक 14 मई, 1994 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड औबेदुल्लागंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-N)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1242.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/891, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयागांवखुर्द, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 788, दिनांक 27 जून, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., नयागांवखुर्द, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 788, दिनांक 27 जून, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-O)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1243.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/889, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छवारा, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 938, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., छवारा, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 938, दिनांक 13 सितम्बर, 2006 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-P)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1244.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/890, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उंटियाकला, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 907, दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला दुग्ध उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., उंटियाकला, तहसील बरेली, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 907, दिनांक 14 अक्टूबर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड बाडी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-Q)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1245.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/944, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., साईखेडा, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 901, दिनांक 16 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., साईखेडा, तहसील सिलवानी, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 901, दिनांक 16 सितम्बर, 2004 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सिलवानी, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-R)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1246.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/914, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा भारतीय मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., नरवर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 793, दिनांक 02 जुलाई, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये भारतीय मत्स्यो. सहकारी संस्था मर्या., नरवर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 793, दिनांक 02 जुलाई, 2002 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-S)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1247.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/916, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा प्रिंटिंग छपाई एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 851, दिनांक 11 नवम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये प्रिंटिंग छपाई एवं स्टेशनरी सहकारी संस्था मर्या., रायसेन, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 851, दिनांक 11 नवम्बर, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापन नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीक मुद्रा से जारी किया गया.

(369-T)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1248.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/918, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जमुनिया, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 31 मई, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला बहुउद्देशीय सहकारी संस्था मर्या., जमुनिया, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 922, दिनांक 31 मई, 2005 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-U)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1249.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/919, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कलईपुरा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 828, दिनांक 13 मई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये चर्म उद्योग सहकारी संस्था मर्या., कलईपुरा, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 828, दिनांक 13 मई, 2003 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-V)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1250.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/921, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा महिला पशुपालन सहकारी संस्था मर्या., बडकुई, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 947, दिनांक 31 अगस्त, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये महिला पशुपालन सहकारी संस्था मर्या., बडकुई, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 947, दिनांक 31 अगस्त, 2007 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-W)

रायसेन, दिनांक 29 अगस्त, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1253.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/923, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा नर्मदा रेत ट्रक सहकारी संस्था मर्या., सलामतपुर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 474, दिनांक 23 अप्रैल, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अतः मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये नर्मदा रेत ट्रक सहकारी संस्था मर्या., सलामतपुर, तहसील रायसेन, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 474, दिनांक 23 अप्रैल, 1991 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड सांची, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 29 अगस्त, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-X)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1285.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/912, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिनोतिया महलपुर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 960, दिनांक 18 जून, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अतः संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये उत्तम बीज उत्पादक सहकारी संस्था मर्या., हिनोतिया महलपुर, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 960, दिनांक 18 जून, 2009 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

(369-Y)

रायसेन, दिनांक 10 सितम्बर, 2013

[मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत]

क्र./परि./13/1286.—कार्यालय सूचना-पत्र क्रमांक/परिसमापन/2013/908, रायसेन, दिनांक 01 जून, 2013 द्वारा आदर्श हरि. बोल्डर सहकारी संस्था मर्या., समनापुरकला, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 650, दिनांक 23 मार्च, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (3) के अंतर्गत कारण बताओ सूचना-पत्र जारी किया गया था.

संस्था को कारण बताओ सूचना-पत्र में दर्शाई गई त्रुटियों का परिमार्जन कर अपना पक्ष समर्थन करने हेतु पर्याप्त अवसर प्रदान किया गया था. किन्तु संस्था का उत्तर आज दिनांक तक प्राप्त नहीं हुआ एवं अभिलेखों के आधार पर भी संस्था अकार्यशील पाई गई.

चूँकि संस्था की ओर से पर्याप्त अवसर दिये जाने के उपरांत भी उत्तर प्राप्त नहीं हुआ और संस्था अकार्यशील भी रही है तथा संस्था सहकारी अधिनियम, नियम, पंजीकृत उपविधियों का पालन करने एवं संस्था के उद्देश्यों के अनुरूप कार्य करने में असफल रही है. अत: संस्था को अधिनियम की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाये जाने का पर्याप्त आधार है.

अत: मैं, विनोद कुमार सिंह, उप-पंजीयक, सहकारी संस्थाएं, रायसेन, मध्यप्रदेश शासन सहकारिता विभाग की विज्ञप्ति क्रमांक/एफ-5-1-99-पन्द्रह-1-सी, दिनांक 26 जुलाई, 1999 द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुये आदर्श हरि. बोल्डर सहकारी संस्था मर्या., समनापुरकला, तहसील गैरतगंज, जिला रायसेन, जिसका पंजीयन क्रमांक 650, दिनांक 23 मार्च, 1998 है, को मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-69 (1) के अंतर्गत परिसमापन में लाने का आदेश देता हूँ एवं मध्यप्रदेश सहकारी सोसायटी अधिनियम, 1960 की धारा-70 (1) के अंतर्गत सहकारिता विस्तार अधिकारी, विकासखण्ड गैरतगंज, जिला रायसेन को परिसमापक नियुक्त करता हूँ.

यह आदेश आज दिनांक 10 सितम्बर, 2013 को मेरे हस्ताक्षर एवं कार्यालयीन मुद्रा से जारी किया गया.

विनोद कुमार सिंह,
उप-पंजीयक.

(369-Z)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.

मध्यप्रदेश राजपत्र

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 22] भोपाल, शुक्रवार, दिनांक 30 मई, 2014-ज्येष्ठ 9, शके 1936

भाग 3 (2)

सांख्यिकीय सूचनाएं

कार्यालय आयुक्त, भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश

मौसम, फसल एवं पशु-स्थिति का साप्ताहिक प्रतिवेदन, सप्ताहान्त बुधवार, दिनांक 29 जनवरी, 2014

1. **मौसम एवं वर्षा.**—राज्य में इस सप्ताह आकाश मेघाच्छादित रहा है तथा राज्य के निम्नलिखित जिलों में वर्षा का होना पाया गया है.—

(अ) 0.1 मि. मी. से 17.4 मि. मी. तक.—तहसील घाटीगांव (ग्वालियर), ईसागढ़ (अशोकनगर), राघौगढ़, आरोन, चाचौड़ा, कुंभराज, (गुना), पृथ्वीपुर, बल्देवगढ़, ओरछा (टीकमगढ़), लवकुशनगर, गौरीहार, नौगांव, छतरपुर, राजनगर, बिजावर, बड़ामलहरा, बक्स्वाह (छतरपुर), पन्ना, गुन्नौर पवई, शाहनगर (पन्ना), रेहली, देवरी (सागर), मानपुर (उमरिया), गरोठ, मंदसौर, (मंदसौर), बुरहानपुर, नेपानगर (बुरहानपुर), गौहरगंज, सिलवानी (रायसेन), सीहोरा, पाटन, जबलपुर, मझौली (जबलपुर), कटनी, रीठी, विजयराघवगढ़, बहोरीबंद, बड़वारा, बरही (कटनी) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(ब) 17.5 मि. मी. से 34.9 मि. मी. तक.—तहसील ग्वालियर, डबरा, भितरवार (ग्वालियर), मुंगावली, अशोकनगर, चन्देरी (अशोकनगर), गुना (गुना), निवाड़ी, टीकमगढ़ (टीकमगढ़), अजयगढ़ (पन्ना), बीना, खुरई, बण्डा, सागर, गढ़ाकोटा, केसली, शाहगढ़, मालथोन (सागर), खकनार (बुरहानपुर), लटेरी, सिरोंज, कुरवाई, बासौदा, ग्यारसपुर (विदिशा), बेगमगंज, बरेली, बाड़ी (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(स) 35.0 मि. मी. से 53.1 मि. मी. तक.—तहसील जतारा, पलेरा (टीकमगढ़), गुलाबगंज, नटेरन, विदिशा (विदिशा), गैरतगंज, उदयपुरा (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

(द) 53.2 मि. मी. से 244.9 मि. मी. तक.—तहसील बमोरी (गुना), राहतगढ़ (सागर), रायसेन (रायसेन) में उक्त मि. मी. के अन्तर्गत वर्षा हुई है.

2. **जुताई.**—जिला श्योपुर, रीवा, जबलपुर में जुताई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

3. **बोनी.**—जिला श्योपुर, रीवा में रबी फसलों की बोनी का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

4. **फसल-स्थिति.**—उमरिया में ओलावृष्टि से खरीफ फसल कहीं-कहीं क्षतिग्रस्त हुई है.

5. **कटाई.**—जिला बुरहानपुर में फसल तुअर व बैतूल में गन्ना, हरदा में चना फसलों की कटाई का कार्य कहीं-कहीं चालू है.

6. **सिंचाई.**—जिला ग्वालियर, शहडोल में सिंचाई हेतु पानी कहीं-कहीं अपर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

7. **पशुओं की स्थिति.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में पशुओं की स्थिति संतोषप्रद है.

8. **चारा.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में चारा पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

9. **बीज.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में बीज पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है.

10. **खेतिहर श्रमिक.**—राज्य के प्राय: सभी जिलों में खेतिहर श्रमिक पर्याप्त संख्या व उचित दर पर उपलब्ध हैं.

मौसम, फसल तथा पशु-स्थिति का साप्ताहिक सूचना-पत्रक, सप्ताहांत बुधवार, दिनांक 29 जनवरी, 2014

जिला/तहसीलें	1.सप्ताह में हुई वर्षा:- (अ) वर्षा का माप (मि. मी.) में (ब) वर्षा कम है या बहुत अधिक.	2. कृषि कार्यों की प्रगति तथा उन पर वर्षा का प्रभाव:- (अ) प्रारम्भिक जुताई पर. (ब) बोनी पर. (स) रोपाई पर, अगर धान की रोपाई होती हो. (द) खड़ी फसल पर, रोग व कीड़ों के आक्रमण के असर का वर्णन सहित. (य) कटी हुई फसल पर.	3. अन्य असामयिक घटना और उसका फसलों पर प्रभाव. 4. खड़ी फसल का व्यापक रूप से अनुमान, गत वर्ष की तुलना में :- (1) फसल का क्षेत्रफल - (अ) अधिक, समान या कम. (ब) प्रतिशत. (2) फसल की हालत- (अ) सुधरी हुई, समान या बिगड़ी हुई. (ब) प्रतिशत.	5. सिंचाई के लिये पानी (कम अथवा अधिक). 6. पशुओं की हालत तथा चारे की प्राप्ति.	7. बीज की प्राप्ति. 8. कृषि-सम्बन्धी मजदूरों की प्राप्ति.
1	2	3	4	5	6
जिला मुरैना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अम्बाह	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. पोरसा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. मुरैना	. .				
4. जौरा	. .				
5. सबलगढ़	. .				
6. कैलारस	. .				
जिला श्योपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. श्योपुर	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, राई-सरसों, तुअर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. कराहल	. .		(2) . .		
3. विजयपुर	. .				
***जिला भिण्ड :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. अटेर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. भिण्ड	. .		(2) . .		
3. गोहद	. .				
4. मेहगांव	. .				
5. लहार	. .				
6. मिहोना	. .				
7. रौन	. .				
जिला ग्वालियर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. ग्वालियर	22.7		4. (1) गन्ना, मूँग-मोठ, तुअर, मूँगफली, तिली अधिक. उड़द कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. डबरा	18.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. भितरवार	22.4				
4. घाटीगांव	17.0				
जिला दतिया :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. सेवढ़ा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. दतिया	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. भाण्डेर	. .				
***जिला शिवपुरी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. शिवपुरी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पिछोर	. .		(2) . .		
3. खनियाधाना	. .				
4. नरवर	. .				
5. करैरा	. .				
6. कोलारस	. .				
7. पोहरी	. .				
8. बदरवास	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला अशोकनगर:	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मुँगावली	30.0		4. (1) सोयाबीन, गेहूँ अधिक. उड़द, मक्का, गन्ना, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ईसागढ़	16.0				
3. अशोकनगर	21.0		(2) . .		
4. चन्देरी	27.0				
5. शाढौरा	. .				
6. नई सराय	. .				
जिला गुना :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गुना	21.0		4. (1) गेहूँ, चना समान.	6. संतोषप्रद,	8. . .
2. राघौगढ़	13.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	. .	
3. बमोरी	54.0				
4. आरोन	4.0				
5. चाचौड़ा	8.0				
6. कुम्भराज	13.0				
7. मकसूदन	. .				
जिला टीकमगढ़:	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवाड़ी	19.0		4. (1) तुअर, गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पृथ्वीपुर	17.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जतारा	41.0				
4. टीकमगढ़	33.0				
5. बल्देवगढ़	10.0				
6. पलेरा	43.0				
7. ओरछा	17.0				
जिला छतरपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लवकुशनगर	8.0		4. (1) गेहूँ, चना, जौ अरहर अधिक.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. गौरीहार	6.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नौगांव	4.4				
4. छतरपुर	4.0				
5. राजनगर	1.2				
6. बिजावर	6.0				
7. बड़ामलहरा	13.0				
8. बक्स्वाहा	4.6				
जिला पन्ना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. अजयगढ़	31.8		4. (1) मक्का, तुअर, उड़द, सोयाबीन, चना, राई-सरसों, अलसी, मसूर,मटर, आलू, प्याज अधिक. धान, ज्वार, बाजरा, मूँग, तिल, गेहूँ, जौ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पन्ना	5.0				
3. गुन्नौर	3.0				
4. पवई	5.0				
5. शाहनगर	6.0		(2) . .		
जिला सागर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बीना	20.8		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तेवड़ा, राई-सरसों, अलसी, आलू, प्याज समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खुरई	19.7				
3. बण्डा	23.3				
4. सागर	17.9		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
5. रेहली	17.4				
6. देवरी	14.0				
7. गढ़ाकोटा	19.4				
8. राहतगढ़	60.2				
9. केसली	29.0				
10. मालथोन	26.2				
11. शाहगढ़	30.0				

1	2	3	4	5	6
जिला दमोह :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हटा	. .		4. (1) लाख, तिवड़ा, तुअर, गेहूँ चना, मटर, मसूर, राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. बटियागढ़	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. दमोह	. .				
4. पथरिया	. .				
5. जवेरा	. .				
6. तेन्दूखेड़ा	. .				
7. पटेरा	. .				
जिला सतना :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रघुराजनगर	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. तुअर, अलसी कम. चना, सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मझगवां	. .		(2) . .		
3. रामपुर-बघेलान	. .				
4. नागौद	. .				
5. उचेहरा	. .				
6. अमरपाटन	. .				
7. रामनगर	. .				
8. मैहर	. .				
9. बिरसिंहपुर	. .				
जिला रीवा :	मिलीमीटर	2. जुताई एवं बोनी का कार्य चालू है.	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. त्यौंथर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, मसूर, अलसी, जौ कम. अरहर समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिरमौर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मऊगंज	. .				
4. हनुमना	. .				
5. हजूर	. .				
6. गुढ़	. .				
7.रायपुरकर्चुलियान	. .				
जिला शहडोल :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोहागपुर	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, मटर, चना, राई-सरसों, तिवड़ा कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. ब्यौहारी	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जैसिंहनगर	. .				
4. जैतपुर	. .				
5. बुढार	. .				
6. गोहपारू	. .				
जिला अनूपपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जैतहरी	. .		4. (1) चना, मटर, गेहूँ अधिक. मसूर कम. राई-सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अनूपपुर	. .		(2) . .		
3. कोतमा	. .				
4. पुष्पराजगढ़	. .				
जिला उमरिया :	मिलीमीटर	2. रबी फसल ओला वृष्टि से क्षतिग्रस्त हुई है.	3. . .	5. अपर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बांधवगढ़	. .		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, अलसी, राई-सरसों, तुअर अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाली	. .		(2) उपरोक्त फसलें बिगड़ी हुईं.		
3. मानपुर	1.2				

1	2	3	4	5	6
जिला सीधी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. गोपदवनास	. .		4. (1) अलसी, राई-सरसों, चना, मटर, मसूर, गेहूँ, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सिंहावल	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. मझौली	. .				
4. कुसमी	. .				
5. चुरहट	. .				
6. रामपुरनैकिन	. .				
जिला सिंगरौली :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. चितरंगी	. .		4. (1) तुअर, गेहूँ अधिक. जौ कम. राई-सरसों, अलसी, मसूर, चना, आलू समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. देवसर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. सिंगरौली	. .				
जिला मन्दसौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सुवासरा-टप्पा	. .		4. (1) गेहूँ चना अधिक. राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. भानपुरा	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुई.		
3. मल्हारगढ़	. .				
4. गरोठ	1.6				
5. मन्दसौर	5.0				
6. सीतामऊ	. .				
7. धुन्धडका	. .				
8. संजीत	. .				
9. कयामपुर	. .				
10.शामगढ़	. .				
जिला नीमच :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावद	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों अधिक. मसूर, मटर कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. नीमच	. .		(2) . .		
3. मनासा	. .				
जिला रतलाम :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. जावरा	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. आलोट	. .		(2) . .		
3. सैलाना	. .				
4. बाजना	. .				
5. पिपलौदा	. .				
6. रतलाम	. .				
7. ताल	. .				
8. रावरी	. .				
***जिला उज्जैन :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खाचरौद	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. महिदपुर	. .		(2) . .		
3. तराना	. .				
4. घटिया	. .				
5. उज्जैन	. .				
6. बड़नगर	. .				
7. नागदा	. .				
जिला शाजापुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. मो. बड़ोदिया	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाजापुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. शुजालपुर	. .				
4. कालापीपल	. .				
5. गुलाना	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला देवास :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सोनकच्छ	. .		4. (1) तुअर, उड़द, मूँग-मोठ, गन्ना अधिक. कपास, मूंगफली कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. टोंकखुर्द	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. देवास	. .				
4. बागली	. .				
5. कन्नौद	. .				
6. खातेगांव	. .				
जिला झाबुआ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. थांदला	. .		4. (1) गेहूँ, चना, कपास अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. मेघनगर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. पेटलावद	. .				
4. झाबुआ	. .				
5. राणापुर	. .				
जिला अलीराजपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. जोवट	. .		4. (1) गेहूँ अधिक. कपास, तुअर, चना कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. अलीराजपुर	. .		(2) . .		
3. भामरा	. .				
4. सोण्डवा	. .				
5. कट्टीवाड़ा	. .				
जिला धार :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. . .
1. बदनावर	. .		4. (1) गेहूँ, चना, गन्ना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सरदारपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. धार	. .				
4. कुक्षी	. .				
5. मनावर	. .				
6. धरमपुरी	. .				
7. गंधवानी	. .				
8. डही	. .				
जिला इन्दौर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. देपालपुर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सांवेर	. .		(2) . .		
3. इन्दौर	. .				
4. महू (डॉ. अम्बेडकरनगर)	. .				
जिला प. निमाड़ :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बड़वाह	. .		4. (1) ज्वार, मक्का, धान, बाजरा, कपास, मूँगफली, तुवर, गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. सनावद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. महेश्वर	. .				
4. सेगांव	. .				
5. करही	. .				
6. खरगौन	. .				
7. गोगावां	. .				
8. कसराबद	. .				
9. मुल्ठान	. .				
10. भगवानपुरा	. .				
11. भीकनगांव	. .				
12. झिरन्या	. .				

1	2	3	4	5	6
***जिला बड़वानी :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. बड़वानी	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. ठीकरी	. .		(2) . .		
3. राजपुर	. .				
4. सेंधवा	. .				
5. पानसेमल	. .				
6. पाटी	. .				
7. निवाली	. .				
8. अंजड	. .				
9. बरला	. .				
***जिला पूर्वनिमाड़:**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. खण्डवा	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. पंधाना	. .		(2) . .		
3. हरसूद	. .				
जिला बुरहानपुर :	मिलीमीटर	2. तुअर की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बुरहानपुर	2.0		4. (1) गेहूँ, चना, कपास समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. खकनार	18.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. नेपानगर	8.0				
***जिला राजगढ़ :**	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. . .
1. जीरापुर	. .		4. (1) . .	6. . .	8. . .
2. खिलचीपुर	. .		(2) . .		
3. राजगढ़	. .				
4. ब्यावरा	. .				
5. सारंगपुर	. .				
6. नरसिंहगढ़	. .				
7. पचोर	. .				
जिला विदिशा :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. लटेरी	30.0		4. (1) अलसी, राई-सरसों, लाख समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. सिरोंज	30.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. कुरवाई	30.0				
4. बासौदा	26.0				
5. नटेरन	44.0				
6. विदिशा	42.0				
7. गुलावगंज	42.0				
8. ग्यारसपुर	33.0				
जिला भोपाल :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बैरसिया	. .		4. (1) गेहूँ कम. मसूर, चना, गन्ना समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. हुजूर	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
जिला सीहोर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सीहोर	. .		4. (1) . .	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. आष्टा	. .		(2) . .	चारा पर्याप्त.	
3. इछावर	. .				
4. नसरुल्लागंज	. .				
5. बुधनी	. .				

1	2	3	4	5	6
जिला रायसेन :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. रायसेन	59.4		4. (1) गेहूँ, जौ, चना, मटर, मसूर, तिवड़ा, सरसों, अलसी समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. गैरतगंज	48.6		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बेगमगंज	34.0				
4. गोहरगंज	13.0				
5. बरेली	18.0				
6. सिलवानी	17.0				
7. बाड़ी	32.5				
8. उदयपुरा	36.0				
जिला बैतूल :	मिलीमीटर	2. खरीफ फसल गन्ने की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. भैसदेही	. .		4. (1) गेहूँ, मसूर, चना अधिक.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. शाहपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
3. बैतूल	. .				
4. मुलताई	. .				
5. आमला	. .				
6. आठनेर	. .				
जिला होशंगाबाद :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सिवनी-मालवा	. .		4. (1) चना, मसूर, मटर, मूँग-मोठ, तुअर अधिक. गेहूँ कम.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. होशंगाबाद	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. बाबई	. .				
4. इटारसी	. .				
5. सोहागपुर	. .				
6. पिपरिया	. .				
7. वनखेड़ी	. .				
8. पचमढ़ी	. .				
जिला हरदा :	मिलीमीटर	2. चने की कटाई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. हरदा	. .		4. (1) गेहूँ .	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. खिड़किया	. .		(2) उपरोक्त फसल समान.		
3. टिमरनी	. .				
जिला जबलपुर :	मिलीमीटर	2. जुताई का कार्य चालू है.	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. सीहोरा	4.6		4. (1) गेहूँ, चना, अलसी, राई-सरसों समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. पाटन	3.4		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. जबलपुर	1.4				
4. मझौली	7.0				
5. कुण्डम	. .				
जिला कटनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. कटनी	3.4		4. (1) चना, अलसी, मसूर, गेहूँ, राई-सरसों, मटर, जौ समान.	6. संतोषप्रद, चारा पर्याप्त.	8. पर्याप्त.
2. रीठी	7.0		(2) उपरोक्त फसलें समान.		
3. विजयराघवगढ़	3.0				
4. बहोरीबंद	6.0				
5. ढीमरखेड़ा	. .				
6. बरही	2.0				
7. बड़वारा	1.0				

1	2	3	4	5	6
जिला नरसिंहपुर :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. गाडरवारा	. .		4. (1) धान, ज्वार, मक्का, उड़द, मूँग,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. करेली	. .		सोयाबीन, गेहूँ, मसूर, मटर,चना.	चारा पर्याप्त.	
3. नरसिंहपुर	. .		(2) . .		
4. गोटेगांव	. .				
5. तेन्दूखेड़ा	. .				
जिला मण्डला :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. निवास	. .		4. (1) गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. बिछिया	. .		अलसी सुधरी हुई.	चारा पर्याप्त.	
3. नैनपुर	. .		(2) उपरोक्त फसलें सुधरी हुईं.		
4. मण्डला	. .				
5. घुघरी	. .				
6. नारायणगंज	. .				
जिला डिण्डोरी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. . .	7. पर्याप्त.
1. डिण्डोरी	. .		4. (1) तुअर, राई-सरसों, गेहूँ, चना, मसूर,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. शाहपुरा	. .		अलसी, मटर समान.	चारा पर्याप्त.	
			(2) उपरोक्त फसलें समान.		
जिला छिन्दवाड़ा :	मिलीमीटर	2. . .	3. कोई घटना नहीं.	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. छिन्दवाड़ा	. .		4. (1) गेहूँ चना, मटर, मसूर, तिवड़ा समान.	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. जुन्नारदेव	. .		(2) उपरोक्त फसलें समान.	चारा पर्याप्त.	
3. परासिया	. .				
4. जामई (तामिया)	. .				
5. सोंसर	. .				
6. पांढुर्णा	. .				
7. अमरवाड़ा	. .				
8. चौरई	. .				
9. बिछुआ	. .				
10. हर्रई	. .				
11. मोहखेड़ा	. .				
जिला सिवनी :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. . .
1. सिवनी	. .		4. (1) धान, मक्का, तुअर, रामतिल, गन्ना,	6. संतोषप्रद,	8. पर्याप्त.
2. केवलारी	. .		गेहूँ, चना, राई-सरसों, मटर अधिक.	चारा पर्याप्त.	
3. लखनादौन	. .		ज्वार, बाजरा,कोदों-कुटकी,उड़द,		
4. बरघाट	. .		सोयाबीन,तिल, सन, लाख, तिवड़ा		
5. कुरई	. .		कम.मूँग, मूँगफली, मसूर, अलसी		
6. घंसौर	. .		समान.		
7. घनोरा	. .		(2) . .		
8. छपारा	. .				
जिला बालाघाट :	मिलीमीटर	2. . .	3. . .	5. पर्याप्त.	7. पर्याप्त.
1. बालाघाट	. .		4. (1) . .	6. . .	8. पर्याप्त.
2. लाँजी	. .		(2) . .		
3. बैहर	. .				
4. वारासिवनी	. .				
5. कटंगी	. .				
6. किरनापुर	. .				

टीप.— *जिला भिण्ड, शिवपुरी, उज्जैन, बड़वानी, पूर्वनिमाड़, राजगढ़ से पत्रक अप्राप्त रहे हैं.

राजीव रंजन,
आयुक्त,
भू-अभिलेख, मध्यप्रदेश.

(357)

नियंत्रक, शासकीय मुद्रण तथा लेखन-सामग्री, मध्यप्रदेश, भोपाल द्वारा प्रकाशित तथा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, ग्वालियर द्वारा मुद्रित-2014.